

भारत के नियंत्रक-महालेखरीक्षक का प्रतिवेदन
मुख्य एवं गौण खनिज से प्राप्तियों का निर्धारण, आरोपण
एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन
2010-11 का प्रतिवेदन संख्या.....

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएं	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
कार्यपालिक सारांश		vii
पहला-अध्याय: प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
खनिज संसाधनों का प्रबंधन	1.2	1
राज्य की खनिज नीति	1.3	3
हमने यह विषय क्यों चुना	1.4	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	4
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.7	5
अभिस्वीकृति	1.8	5
दूसरा-अध्याय: वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण		
संगठनात्मक संरचना	2.1	7
खनन प्रभाग का राजस्व योगदान	2.2	8
राजस्व की बकाया	2.3	9
लेखापरीक्षा का प्रभाव	2.4	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.5	11
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	2.6	11

अनुशंसा	2.7	13
तीसरा-अध्याय: पट्टों का प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	15
पट्टा आवेदनों के निराकरण में विलम्ब	3.2	15
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीसों का आरोपण एवं संग्रहण	3.3	16
निष्क्रिय खदानों के पट्टों के निरस्तीकरण में विलम्ब	3.4	19
आवेदन का निराकरण न होने से राजस्व का अवरूद्ध होना	3.5	20
पट्टा क्षेत्र एवं वास्तविक खनन क्षेत्र में विसंगति	3.6	20
अनुशंसाएँ	3.7	21
चौथा-अध्याय: रायल्टी और अन्य देय राशियों का निर्धारण एवं संग्रहण		
प्रस्तावना	4.1	23
लौह अयस्क का लम्प और चूर्ण के रूप में गलत वर्गीकरण	4.2	23
पर्यावरण उपकर और अधोसंरचना विकास उपकर	4.3	25
कोयले पर रायल्टी का कम आरोपण	4.4	27
बॉक्साइट पर रायल्टी का कम आरोपण	4.5	30
लौह अयस्क पर रायल्टी का कम आरोपण	4.6	31
कोयले पर रायल्टी का कम आरोपण	4.7	32
प्रक्रियागत हानि पर अनियमित छूट	4.8	33
रायल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली	4.9	33
रायल्टी के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का अनारोपण	4.10	34
रायल्टी और ब्याज की राशि का कम निर्धारण	4.11	36
अनुशंसाएँ	4.12	37

पाँचवाँ-अध्याय: खनिजों का अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन		
प्रस्तावना	5.1	39
अनधिकृत उत्खनन	5.2	40
अनधिकृत उत्खनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/अवसूली	5.3	41
बॉक्साइट का कम/अधिक परिवहन	5.4	42
अभिवहन पास (अ.पा.)	5.5	44
अनुशंसाएँ	5.6	45
छठवाँ-अध्याय: खनिज नियमों और विनियमों का क्रियान्वयन		
कोषालय अभिलेखों में चालानों का न पाया जाना	6.1	47
खनिज के अस्थायी भण्डारण के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त न करना	6.2	47
पर्यावरणीय सम्मति के बिना खनन संक्रियाएँ	6.3	48
अनुशंसा	6.4	49
सातवाँ-अध्याय: पदों एवं संक्षिप्तियों की पारिभाषिक शब्दावली		
पदों एवं संक्षिप्तियों की पारिभाषिक शब्दावली		51
परिशिष्ट		
परिशिष्ट I	3.3.1	53
परिशिष्ट II	3.3.3	54
परिशिष्ट III	4.3.2	55
परिशिष्ट IV	4.4.1	56
परिशिष्ट V	4.7	59

प्राक्कथन

31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के "मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा परिणामों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की कर भिन्न खनन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान चयनित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था।

कार्यपालिक सारांश

खनिज बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। सीमित एवं अनवीनीकरणीय होने के कारण इनका विदोहन दीर्घकालीन राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। खनिजों का दोहन एवं विकास अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थानीय आबादी के उत्थान से घनिष्ठ संबंध रखता है। चूंकि यह पर्यावरण एवं सामाजिक संरचना में भी बाधा डालता है, इसलिए इनके संरक्षण तथा विकास के मध्य तारतम्य एवं संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 54 एवं राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 23 के प्रावधानों के अनुसार खनिज संसाधनों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों का है।

खानों एवं खनिजों से प्राप्तियों में मुख्य रूप से रायल्टी सम्मिलित है जो खनिजों की मात्रा को खानों से हटाने या उपभोग करने पर विशिष्ट रूप से या मूल्य आधार पर प्रभारित की जाती है। खनन कार्यों के लिये पट्टे पर दिये गये क्षेत्र पर अनिवार्य भाटक का आरोपण किया जाता है। खनिज साधन विभाग की अन्य प्राप्तियों में आवेदन शुल्क, लाइसेंस फीस, पूर्वक्षण प्रभार, शास्तियाँ एवं देय राशियों के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज इत्यादि हैं। मुख्य खनिजों के मामलों में रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, परन्तु इनका संग्रहण एवं उपयोग राज्य शासन द्वारा किया जाता है, जबकि गौण खनिजों के मामलों में रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरें राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा इनका संग्रहण एवं उपयोग भी राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनिज संपदा संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की लगभग 28 खनिजें मौजूद हैं जिनमें बहुमूल्य रत्न जैसे हीरा, लौह अयस्क, कोयला, टिन अयस्क, बाक्साइट और सोना सम्मिलित हैं। हीरा तथा स्वर्ण के भण्डार के साथ ही प्रदेश भारत का एक मात्र टिन उत्पादक खान और बैलाडीला जिला दंतेवाडा में विश्व का एक बेहतरीन लौह अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2010-11 में खनन प्राप्तियाँ ₹ 2470.44 करोड़ थी जो राज्य के कुल राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व का क्रमशः 19.23 एवं 64.41 प्रतिशत थी।

हमने अवधि 2006-07 से 2010-11 के मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की थी कि क्या विभिन्न अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाये नियमों के प्रावधानों का खनिज साधन विभाग द्वारा प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया गया। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि क्या विभाग में विभिन्न फीस, रायल्टी, शास्ति आदि की संगणना, आरोपण और वसूली की प्रभावी व्यवस्था अस्तित्व में है एवं दोषी अथवा खनिजों के अनधिकृत खनन के मामलों में प्रभावी कार्यवाही की गई है। हमने विभाग के आंतरिक नियंत्रणों एवं निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।

हमने पाया कि केन्द्र द्वारा अक्टूबर 2009 में राज्य सरकारों को प्रसारित आदर्श राज्य खनिज नीति के तर्ज पर किसी खनिज नीति का विकास, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ शासन ने नहीं किया है।

हमने देखा कि खनिज साधन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड के न होने तथा खनि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों के कम प्रतिशत के कारण कमजोर थी, विभाग की गतिविधियों पर आंतरिक जाँच हेतु कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। शासकीय तौल कांटे न होने से निजी तौल कांटों से उत्खनित खनिजों की तुलाई करने से राजस्व की रिसाव की संभावना थी।

हमने पाया कि खनन पट्टों के आवेदन बहुत अधिक संख्या में लंबित होने के परिणामस्वरूप खनिजों का विदोहन नहीं हुआ। हमने खनन योजना के अनुरूप खनन संक्रियाएँ नहीं होने तथा एक अनुमोदित खनन योजना के बिना उत्खनन के प्रकरण भी देखे। शिथिल खदानों के पट्टों के निस्तीकरण में सारवान विलम्ब हुआ।

उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा औसत वार्षिक रायल्टी की गलत गणना के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

हमारी जाँच में अभिवहन पास के दुरुपयोग और बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का प्रेषण, तथा अनधिकृत उत्खनन के प्रकरणों में खनिज मूल्य की अवसूली के भी प्रकरण उजागर हुये।

हमने पाया कि पर्यावरणीय सम्मति के बिना काफी अधिक संख्या में पत्थर क्रशर पट्टे कार्यरत थे। इन पर नजर रखने के लिए विभाग के पास निगरानी तंत्र नहीं था। हमने आगे देखा कि मुख्य एवं गौण दोनों खनिजों पर देय अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर न तो निर्धारित किये गये और न ही वसूल किये गये थे।

हमने पट्टों के प्रबंधन में अनियमितताएँ, अनधिकृत उत्खनन, रायल्टी का अनिर्धारण/कम निर्धारण और वसूली, अभिवहन पास का दुरुपयोग आदि के कुल ₹ 294.54 करोड़ की अनियमितताएँ पाई जो इस प्रतिवेदन के आगामी अध्यायों में वर्णित है।

प्रस्तावना

1.1 खनिज बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। सीमित एवं अनवीकरणीय होने के कारण इनका दोहन दीर्घकालीन राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं अन्य पहलुओं द्वारा निर्देशित है, जो पुनः भू-मण्डलीय आर्थिक परिदृश्य से प्रभावित होता है। खनिजों का दोहन एवं विकास का अर्थव्यवस्था के विकास तथा स्थानीय आबादी के उत्थान के साथ घनिष्ठ संबंध है। चूंकि इसके साथ यह पर्यावरण एवं सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, अतः इसके संरक्षण एवं विकास के मध्य तारतम्य तथा संतुलन कायम रखना आवश्यक है।

खनिजों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मुख्य खनिज जो पुनः हाइड्रोकार्बन या ऊर्जा खनिज (जैसे कोयला, लिग्नाईट इत्यादि), आणविक खनिज तथा धात्विक एवं अधात्विक खनिजों एवं गौण खनिजों जिनमें भवन निर्माण पत्थर, फर्शीपत्थर, साधारण मिट्टी, साधारण रेत और अन्य खनिज जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये, शामिल हैं।


1.2 खनिज संसाधनों का प्रबंधन

छत्तीसगढ़ विभिन्न प्रकार के 28 मुख्य खनिजों जैसे लौह अयस्क, कोयला, हीरा, चूना पत्थर, बाक्साइट, टिन अयस्क, फायर क्ले, कोरण्डम आदि, तथा गौण खनिज जैसे भवन निर्माण हेतु पत्थर, साधारण मिट्टी और साधारण रेत आदि से संपन्न है। राज्य लौह अयस्क का लगभग 19 प्रतिशत (2731 मिलियन टन), कोयले का 17 प्रतिशत (44483 मिलियन टन) और डोलोमाइट का 11 प्रतिशत (847 मिलियन टन) भंडार धारित करता है।

लौह अयस्क निक्षेप दन्तेवाडा, बस्तर, दुर्ग, कांकेर और राजनांदगाँव जिलों में उपलब्ध है। कोयला कोरबा, कोरिया, रायगढ़, और सरगुजा जिले में पाया जाता है जबकि बाक्साइट सरगुजा और कबीरधाम जिलों में उपलब्ध है।

राज्य देश¹ में एक मात्र टिन उत्पादक है तथा भारत के कोयला उत्पाद का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा इसे कोयला उत्पादक राज्यों में अग्रणी बनाता है।

¹ स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित आंकड़े



(स्रोत - कार्यालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म)

1.3 राज्य की खनिज नीति

1.3.1 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 54 एवं राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 23 के प्रावधानों के अनुसार खनिज संसाधनों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों का है। इसके अनुसार जब तक संसद प्रविष्टि 54 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक प्रविष्टि 23 में प्रदत्त राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा किया जावेगा। केन्द्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 बनाया जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अलावा सभी खनिजों के विकास एवं खानों के विनियमन का वैधानिक ढाँचा दिया गया है। इसके साथ, खनिज रियायत (ख. रि.) नियम, 1960 समस्त खनिजों (आणविक खनिजों एवं गौण खनिजों के अलावा) के संबंध में परमिट, लाइसेंस और पट्टों की स्वीकृति को विनियमित करने हेतु तथा खनिज संरक्षण एवं विकास (ख.सं.वि.)नियम, 1988 खनिजों (कोयला, आणविक खनिजों एवं गौण खनिजों को छोड़कर) के संरक्षण तथा व्यवस्थित विकास हेतु बनाए गये हैं।

1.3.2. छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज (छ.गौ.ख.) नियम, 1996 बनाया है जो गौण खनिजों के खनन को शासित करता है। इसने खनिज नीति 2001 भी घोषित की है जिसमें सुस्थिर आर्थिक विकास हेतु खनिज संसाधनों के उचित उपयोग को प्रोन्नत करने हेतु उपाय वर्णित हैं। नीति का विशिष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- राज्य की खनिज संपदा का सुस्थिर विकास एवं उपयोग।
- मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन।
- खनन क्षेत्र में निवेश को आकृष्ट करने हेतु सहायक व्यवसायिक वातावरण को तैयार करना।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण और निर्णय निर्माण में पूर्ण पारदर्शिता ।

1.3.3. खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और तकनीक को आकर्षित करने के लिए मार्च 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की गई थी। नीति में कहा गया कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके खनिज प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा खनिज संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय नीति उद्देश्यों के साथ गति सुनिश्चित करने एवं इसके अनुरूप करने के लिये वैधानिक उपाए करें।

केन्द्र सरकार द्वारा एक आदर्श राज्य खनिज नीति सभी राज्यों को इस आशय से प्रसारित (अक्टूबर 2009) की गई थी कि वे अपने राज्यों के लिये अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खनिज नीति के दायरे में उपयुक्त खनिज नीति तैयार करें। परंतु, छत्तीसगढ़ शासन ने दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आदर्श राज्य खनिज नीति के आधार पर कोई खनिज नीति तैयार नहीं की है।

उत्तर में विभाग ने कहा (अगस्त 2012) कि आदर्श राज्य खनिज नीति तैयार करने की कार्यवाही प्रगति में है।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन आदर्श राज्य खनिज नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने एवं उसके क्रियान्वयन पर विचार करें।

1.4 हमने यह विषय क्यों चुना

छत्तीसगढ़ देश में दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। यहां लगभग 28 विभिन्न प्रकार के मुख्य एवं गौण खनिज पाये जाते हैं तथा राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में इसकी भागीदारी 15 प्रतिशत से अधिक है।

पुनः, वर्ष 2010-11 में अर्जित खनिज प्राप्तियाँ ₹ 2,470.44 करोड़, राज्य के कुल राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व का क्रमशः 19.23 एवं 64.41 प्रतिशत थी। खनिज प्रभाग का योगदान 2006-07 में ₹ 813.42 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 2,470.44 करोड़ हो गया। अतः, यह प्रभाग राष्ट्रीय और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्व संग्रहण प्रणाली में सुधार द्वारा तथा राजस्व रिसाव को रोककर इस प्रभाग से राजस्व वृद्धि की काफी गुंजाइश है।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि:

- खनिज प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली दक्ष एवं प्रभावकारी है;
- क्या खनिज प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण के लिए पर्याप्त प्रावधान विद्यमान हैं तथा विभाग द्वारा उसका अनुपालन किया गया है;
- क्या खनिजों के दोषी या अवैध उत्खनन के प्रकरणों में की गई कार्यवाही प्रभावी थी; और
- क्या राजस्व रिसाव को रोकने हेतु विभाग में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र विद्यमान था।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से उद्भूत किए गए हैं :-

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा.ख.वि.वि अधिनियम);
- खनिज रियायत नियम, 1960 (ख.रि. नियम);
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (ख.सं.वि. नियम);

- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 (छ.गौ.ख.नियम);
- छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005;
- छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009; और
- भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन, परिपत्र आदि।

1.7 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने वर्ष 2005-06 में "मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की थी और रायल्टी, ब्याज आदि की अवसूली/कम वसूली को प्रकाशित करते हुये इसे 31 मार्च 2006 को समाप्त हुये वर्ष के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्तमान में लोक लेखा समिति में चर्चाधीन है।

"मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" पर वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये हमने खनन प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण तंत्र की जाँच के लिए 18 में से नौ² जिलों के अवधि 2006-07 से 2010-11 के अभिलेखों की नमूना जाँच, अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 के मध्य की थी। इन नौ इकाईयों का चयन सामान्य यादृच्छिक चयन प्रणाली बिना पुनः स्थापना से किया गया। इसके अलावा, जि.ख.अ. राजनांदगाँव और संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म में संधारित अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई थी। इन इकाईयों से अवधि 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्य की कुल खनन प्राप्तियों में योगदान 98.29 प्रतिशत था।

इसके अलावा, इस प्रतिवेदन में हमने दो³ जिलों के पिछले वर्षों में लेनदेन लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को भी शामिल किया है।

1.8 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में खनिज साधन विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है। लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि की चर्चा खनिज साधन विभाग के सचिव के साथ अप्रैल 2011 में हुए अंतरगामी सम्मेलन में हुई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जनवरी 2012 में अग्रेषित किया गया तथा फरवरी 2012 को बहिर्गमन सम्मेलन में खनिज साधन विभाग के सचिव के साथ चर्चा हुई। बहिर्गमन सम्मेलन और अन्य समयों पर शासन से प्राप्त मतों को इस प्रतिवेदन की संबंधित कंडिकाओं में यथाअनुरूप सम्मिलित किया गया है।

² बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा (अंबिकापुर)


³ कांकेर एवं कबीरघाम

वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण

2.1 संगठनात्मक संरचना

2.1.1 शासन स्तर पर, सचिव, खनिज साधन विभाग एवं संचालनालय स्तर पर आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख.) संबंधित खनन अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। सं.भौ.ख., बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर स्थित तीन क्षेत्रीय प्रमुखों से सहायता प्राप्त करते हैं जहां विभागीय रासायनिक प्रयोगशालाओं में खनिजों का गुणवत्ता विश्लेषण किया जाता है। खनिज साधन विभाग की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गयी है :

2.1.2 खनिज कार्यालय प्रत्येक जिला कलेक्टोरेट में जिलाध्यक्ष के सीधे नियंत्रण के अधीन अवस्थित है। यहाँ 16 उप संचालक खनि प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.)/जिला खनि अधिकारी (जि.ख.अ.) हैं। खनि निरीक्षक (ख.नि.) अपने नियंत्रण क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन और राजस्व के रिसाव से संबंधित अन्य गतिविधियों की रोकथाम के अलावा राजस्व के निर्धारण और संग्रहण हेतु उत्तरदायी हैं। सं. भौ.ख. के नियंत्रण में एक उड़नदस्ता कार्यरत है। किन्तु उड़नदस्ता के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और शासन/ सं. भौ.ख. स्तर पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर इसके द्वारा कार्यवाही की जाती है।



2.2 खनन प्रभाग का राजस्व योगदान

2.2.1 खान एवं खनिज प्राप्तियों में मुख्य रूप से रायल्टी सम्मिलित है, जो खानों से निर्गमित या उपयोग किये गए खनिज की मात्रा और प्रकार पर विशिष्ट या मूल्य के आधार पर आरोपित की जाती है। अनिवार्य भाटक, खनन संक्रियाओं के लिए दिए गए पट्टा क्षेत्र के आधार पर आरोपित की जाता है। खनन से अन्य प्राप्तियों में विभिन्न परमिटों और लाइसेंसों का आवेदन शुल्क, देय राशियों के दर से/विलम्बित भुगतानों पर शास्ति और ब्याज आदि हैं। मुख्य खनिजों के मामलों में रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन ये राज्य सरकार द्वारा संग्रहित एवं उपयोग की जाती है। गौण खनिजों के मामले में रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरें स्वयं राज्य सरकार निर्धारित कर इनका संग्रहण एवं उपयोग करती है।

खनि/उत्खनि पट्टाधारको द्वारा या तो अनिवार्य भाटक या रायल्टी जो भी ज्यादा हो भुगतान करना होता है। पट्टेदार वैध अभिवहन पास के आधार पर खान या क्वारी से खनिजों को हटाने, प्रेषित करने या उपभोग करता है। पट्टेदार द्वारा समस्त खनिजों के उत्खनन एवं प्रेषण का नियमित एवं सही लेखा संधारित किया जाना चाहिए तथा विभाग को मासिक विवरणियां प्रस्तुत करना चाहिए।

2.2.2 बजट अनुमान, खनन से वास्तविक प्राप्तियाँ, राज्य शासन की कुल कर भिन्न प्राप्त राजस्व और कर भिन्न राजस्व में खनिज प्रभाग के योगदान का प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर-भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर भिन्न प्राप्तियों में खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2006-07	824.62	813.42	(-) 11.20	(-) 1.36	1,451.34	56.05
2007-08	983.52	1,031.55	(+) 48.03	(+) 4.88	2,020.45	51.05
2008-09	1,185.50	1,243.24	(+) 57.74	(+) 4.87	2,202.21	56.45
2009-10	1,685.40	1,660.87	(-) 24.53	(-) 1.46	3,043.00	54.58
2010-11	2,150.00	2,470.44	(+)320.44	(+) 14.90	3,835.32	64.41

(स्रोत - वित्त लेखे 2010-11)

विगत पाँच वर्षों में राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियों में खनिज प्राप्तियों का योगदान 51.05 और 64.41 प्रतिशत के मध्य था। उक्त अवधि के दौरान 2006-07 और 2009-10

को छोड़कर वास्तविक प्राप्तियाँ, बजट अनुमानों से अधिक रहीं। विभाग ने बताया (अगस्त 2012) कि वर्ष 2010-11 में बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि का कारण भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.)¹ द्वारा लौह अयस्क के आधार मूल्य में वृद्धि करना था। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आई.बी.एम. द्वारा लौह अयस्क के आधार मूल्य में वृद्धि 13 अगस्त 2009 से लागू की गई थी और जिसको वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों को तैयार करते समय पहले ही ध्यान में रख लिया गया था।

2.3 राजस्व की बकाया

संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2011 को राजस्व की बकाया ₹ 1.80 करोड़ थी। निम्नांकित तालिका अवधि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष में बढोत्तरी	वर्ष में संग्रहित राशि	अंतिम शेष
2006-07	1.80	0.11	0.09	1.83
2007-08	1.83	0.01	0.08	1.76
2008-09	1.76	0.14	0.21	1.69
2009-10	1.69	0.55	0.14	2.10
2010-11	2.10	0.17	0.48	1.80

(स्रोत - कार्यालय संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म)

कुल बकाया ₹ 1.80 करोड़ में से ₹ 1.39 करोड़ 1996 से पूर्व अवधि के थे जबकि ₹ 41 लाख उसके उत्तरवर्ती अवधि के थे।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने सूचित किया (फरवरी 2012) कि बकाया में से अधिकांश 1996 से पूर्व की अवधि के हैं और पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है जिससे पट्टेदारों का अतापता नहीं है। परंतु बकाया की वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे। जहाँ कहीं देय राशि की वसूली संभव नहीं है ऐसे प्रकरणों को वित्त विभाग को अपलेखन हेतु पेश किया जावेगा। आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है। (अगस्त 2012)

2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.4.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति: अवधि 2006-07 से 2010-11 के दौरान, लेखापरीक्षा ने अपने स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनो के द्वारा रायल्टी, अनिवार्य भाटक के अना/कम आरोपण/संग्रहण, ब्याज के अनारोपण से राजस्व की हानि, शास्ति

¹ लौह अयस्क के आधार मूल्य की दरें आई.बी.एम.(भारत सरकार, खान मंत्रालय, खान विभाग के अधीन एक बहु-अनुशासित शासकीय संस्था) द्वारा तय की जाती है।

इत्यादि के 2,123 प्रकरणों में ₹ 451.53 करोड़ राजस्व सन्निहित था, इंगित किये गये थे। इनमें से, विभाग/शासन ने 1,443 प्रकरणों जिनमें ₹ 287.54 करोड़ सन्निहित थे लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया तथा ₹ 5.74 करोड़ की वसूली हो चुकी है। विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि		वसूली राशि	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2006-07	11	21	335.00	16	221.00	4	0.42
2007-08	13	640	68.09	470	56.62	5	0.29
2008-09	12	764	20.09	473	1.45	1	0.14
2009-10	7	396	4.64	335	2.33	45	4.83
2010-11	9	302	23.71	149	6.14	61	0.06
योग	52	2123	451.53	1443	287.54	116	5.74

स्वीकार राशि में से वसूल की गई राशि नगण्य (2 प्रतिशत) मात्रा में थी।

2.4.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति: 2005-06 से 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 235.73 करोड़ के रॉयल्टी, अनिवार्य भाटक, ब्याज के अन/कम आरोपण एवं संग्रहण और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम निर्धारण के प्रकरण इंगित किये गये थे। विभाग ने ₹ 8.50 करोड़ के प्रेक्षण स्वीकार किये जिनमें से मार्च 2011 तक मात्र ₹ 1.54 करोड़ ही वसूल किये गये जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल आक्षेपित राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2011 तक की गई वसूली
1	2005-06	228.61	1.49	1.42
2	2006-07	0.87	0.76	0.04
3	2007-08	4.33	4.33	0
4	2008-09	0.42	0.42	0.08
5	2009-10	1.50	1.50	0
	योग	235.73	8.50	1.54

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में, वसूली सुनिश्चित करने के लिए अपने राजस्व वसूली तंत्र को सुदृढ़ करें।

2.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान "मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तिओं के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की। निष्पादन लेखापरीक्षा में राजस्व के अनिर्धारण/कम निर्धारण, मांग जारी नहीं करने आदि से संबंधित कई कमियाँ प्रकट हुईं जिनमें ₹ 294.54 करोड़ का वित्तीय प्रभाव शामिल था जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्यायों में उल्लेख किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकरणों को इंगित किए जाने के पश्चात विभाग ने सात प्रकरणों में ₹ 21.41 करोड़ की वसूली कर ली थी।

2.6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

2.6.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का आशय विधि, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के यथोचित क्रियान्वयन का उचित आश्वासन प्रदान करना है। आंतरिक नियंत्रण शासकीय राजस्व की चोरी के विरुद्ध पर्याप्त बचाव के उपाय और त्वरित और प्रभावी सेवा हेतु विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधकीय सूचनातंत्र के निर्माण में सहयोग करता है।

2.6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतः समस्त नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को यह आश्वासित करता है कि विहित प्रणालियाँ पर्याप्त रूप से अच्छा कार्य कर रही हैं।

हमने देखा (अप्रैल 2011) कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ नहीं था। संचालनालय ने सूचित किया (सितंबर 2011) कि आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सचिव, संचालक और संयुक्त संचालको द्वारा की जाती है और 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण प्रस्तुत किया जो नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

सं.क्र.	वर्ष	इकाईयों की संख्या	निरीक्षण की गई इकाईयों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	2006-07	16	0	0
2	2007-08	16	6	37
3	2008-09	16	4	25
4	2009-10	16	2	12
5	2010-11	16	3	19
योग		80	15	

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जा चुका है।

2.6.3 खनि निरीक्षकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

संचालक (भौमिकी एवं खनिकर्म) छत्तीसगढ़ द्वारा मई 2008 में जारी निर्देशों के अनुसार खनिज निरीक्षक (ख.नि.) को अपने क्षेत्राधिकार की समस्त मुख्य एवं गौण खनिजों की खानों का हर छः माह में एक बार यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करना चाहिए कि पट्टा विलेख में दी गई निबंधन एवं शर्तें पट्टेदार द्वारा पालन की गई हैं, खनिजों का उत्खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नहीं किया गया है और पट्टा क्षेत्र उचित रूप से सीमांकित है।

खनन प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच और 10 उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने देखा कि केवल चार खनिज कार्यालयों² द्वारा अवधि 2008-09 से 2010-11 के मध्य खदानों के निरीक्षण की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रदान की गई। तीन³ जिलों में खनिज पट्टों के निरीक्षण में कमी 53 एवं 70.2 प्रतिशत की सीमा के मध्य थी जबकि उत्खनि पट्टा प्रकरणों में यह 50 एवं 96.6 प्रतिशत के मध्य थी। हमने आगे देखा कि कोरिया जिले में ख.नि. द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया। छः⁴ जि.ख. कार्यालयों में न तो कोई अभिलेख संघारित थे और न ही खनि निरीक्षकों द्वारा किये

गये निरीक्षणों की जानकारी दे सकने में जि.ख.अ. समर्थ थे। हमने, आगे देखा कि अवधि 2006-07 से 2010-11 के दौरान 24 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र पाँच से 12 निरीक्षक पदस्थापित थे।

² दुर्ग, कोरबा, कोरिया एवं रायपुर

³ दुर्ग, कोरबा एवं रायपुर

⁴ बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि स्टाफ की कमी के कारण, खदानों का नियमित निरीक्षण नहीं किया गया। पुनः यह कहा कि खनि निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति में थी।

2.6.4 तौलकांटो की अपर्याप्तता

खा.ख.(वि.वि.) अधिनियम के अधीन राज्य शासन को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। यह नियम खनिजों की परिवहन की जा रही मात्रा के मापने के लिए तौलकांटे स्थापित करने हेतु प्रावधानित करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ खनिज(खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 बनाए हैं जो परिवहित खनिजों की मात्रा की जांच तौलकांटो से करने हेतु प्रावधान करता है।

सं.भौ.ख., उ.सं.ख.प्र. कोरबा और जि.ख.अ. रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत जानकारियों से हमने पाया कि 18 जिलों में से दो⁵ में केवल पाँच तौलकांटे स्थापित किए गए हैं। 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान उ.सं.ख.प्र. द्वारा कोरबा जिले में ऑवरलॉडिंग के 110 प्रकरण संसूचित किए गए और रायल्टी के साथ शास्ति राशि ₹ 12.39 लाख वसूल की गई। रायगढ़ जिले में इस प्रकार का प्रकरण नहीं पाया गया। शासकीय तौलकांटो के न होने से भारमापन निजि तौलकांटो से किया गया जिसमें राजस्व के रिसाव की संभावना थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि 2012-13 में पाँच नये तौलकांटे स्थापित किये जाएंगे और एक केन्द्रीकृत निगरानी तंत्र लागू किया जावेगा।

2.7 अनुशंसा

- प्रणाली में कमियाँ, राजस्व रिसाव को संसूचित करने और नियमों एवं अधिनियमों के प्रावधानों के परिपालन को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा एक नियमित आधार पर की जावे।

⁵ कोरबा एवं रायगढ़

पट्टों का प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

खनि पट्टों के प्रबंधन के लिए, केन्द्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, (खा.ख.वि.वि.) 1957, बनाया और खनिज रियायत नियम, (ख.रि.) 1960 और खनिज विकास एवं संरक्षण नियम, (ख.वि.सं.) 1988 बनाये हैं। छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों का विनियमन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली, (छ. गौ. ख.) 1996 से होता है।

3.2 पट्टा आवेदनों के निराकरण में विलम्ब

ख.रि. नियम मुख्य खनिजों के पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। नियमों के प्रावधानों के अनुसार, शासन को खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 12 माह के भीतर निराकृत करना होता है।

3.2.1. शासन ने सितंबर 2011 और मई 2012 में निवेदन किए जाने के बावजूद मुख्य खनिजों के पट्टों की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या, पट्टे स्वीकृत किये गये, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या और लम्बित आवेदनों की संख्या की जानकारी प्रदान नहीं की। परंतु, लेखापरीक्षा द्वारा सं.भौ.ख. एवं छ:¹ जिलों से एकत्र

जानकारी से हमने पाया कि खनि पट्टों हेतु 606 आवेदन राज्य शासन को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किये गये थे। ये पट्टा आवेदन शासन स्तर पर लम्बित थे, इनमें से 180 आवेदन पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। कोरिया जिले में कोई खनि पट्टा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अन्य खनिज कार्यालयों² ने आज दिनांक (जुलाई 2012) तक जानकारी प्रदान नहीं की।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया कि आवेदकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने और विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, वन, पंचायत आदि से क्लीयरेंस प्राप्त करने में विलम्ब आदि के कारण आवेदन लंबित थे। आगे यह कहा कि आवेदनों के निराकरण पर नजर रखने हेतु पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

3.2.2: हमने आगे देखा कि 601 खनिज पट्टा आवेदनों (उपरोक्त 606 आवेदनों में से) में 182 आवेदन जो पाँच³ उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. से संबंधित थे तथा जिनमें कुल 4,39,959 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था, राज्य शासन के पास अनुमोदन हेतु लंबित थे। जैसे कि

¹ बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ एवं रायपुर

² दुर्ग, कोरिया, राजनांदगांव और सरगुजा

³ दन्तेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ एवं रायपुर

ये आवेदन निश्चित समयावधि में निराकृत नहीं किए जा सके, शासन खनिज विकास में अवरूद्धता के अतिरिक्त अनिवार्य भाटक से वंचित रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया कि कई प्रकरणों में भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता के कारण आवेदनों का निराकरण नहीं किया जा सका।

3.3 मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीसों का आरोपण एवं संग्रहण

3.3.1 औसत वार्षिक रायल्टी का गलत निर्धारण

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के निर्देश (क्रं/एफ-19-192/92/12/2 दिनांक 15 मार्च 1993) जो छत्तीसगढ़ में लागू है, के अनुसार नए खनिज पट्टों में मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस आरोपणीय है और यह खनिज पट्टे हेतु आवेदन पत्र में उत्खनि की जाने वाली दर्शित मात्रा और खनन योजना में दी गई उत्पादन की मात्रा, जो भी अधिक हो के आधार पर संगणित की जाती है।

चार⁴ उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. के खनिज पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि 20 से 30 वर्षों की अवधि के लिए खनिज पट्टों की स्वीकृति के दौरान पट्टा विलेखों का निष्पादन/पंजीयन उक्त निर्देश के अनुसार पूर्ण पट्टा अवधि में प्रस्तावित उत्पादन के औसत के बजाय खनन योजना या आवेदन में दर्शित प्रथम पाँच वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर किया गया। उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा पूर्ण पट्टा अवधि हेतु औसत वार्षिक रायल्टी ₹ 41.36 करोड़ के बजाय ₹ 20.74 करोड़ प्रथम पाँच वर्षों के

आधार पर गलत गणना की गयी। अतः आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 14.09 करोड़ और ₹ 10.34 करोड़ के बजाय क्रमशः ₹ 7.08 करोड़ और ₹ 5.07 करोड़ आरोपित की गयी। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 12.29 करोड़ का कम आरोपण/वसूली हुई (परिशिष्ट I)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया कि पट्टा विलेख खनन योजना या आवेदन दोनों में जो भी अधिक हो में दर्शित प्रथम पाँच वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर निष्पादित किये थे। परंतु यह तथ्य रहा कि नियमों के अनुसार औसत वार्षिक रायल्टी की गणना पूर्ण पट्टा अवधि हेतु करना था और यह मात्र प्रथम पाँच वर्षों के उत्पादन को आधार मानकर औसत वार्षिक रायल्टी के निर्धारण को निर्दिष्ट नहीं करता। आगे, समान प्रकृति का लेखापरीक्षा प्रेक्षण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 (कंडिका 8.11) में प्रकाशित हुआ था और शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और एक प्रकरण में ₹ 30.98 लाख वसूल किया तथा दूसरे प्रकरण में ₹ 8.91 लाख की वसूली हेतु मांग जारी की थी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2012)।

⁴ बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा एवं रायपुर

3.3.2 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान हेतु प्रावधान का अभाव

खनन योजना में संशोधन होने पर मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के आरोपण हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली में प्रावधान नहीं है। हमने उ.सं.ख.प्र., कोरबा के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों और खनन योजनाओं की जाँच (जून 2011) के दौरान देखा कि अप्रैल 2006 में 30 वर्षों हेतु पट्टा विलेख का निष्पादन हुआ जिस पर खनन योजना में वर्णित वार्षिक संभावित उत्पादन मात्रा 18,60,000 मीट्रिक टन (मी.ट.) के आधार पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 2.39 करोड़ का भुगतान किया गया। योजना 2008 में संशोधित की गयी और संशोधित योजना के अनुसार, खनिज की संभावित संशोधित मात्रा 45,25,000 मी.ट. थी। पूर्व में निर्धारित मात्रा में वृद्धि के कारण विभाग ने पट्टेदार को संशोधित खनन योजना के अनुरूप संशोधित पट्टा विलेख अनुबंध निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया परंतु पट्टेदार ने खा.ख.वि.वि. अधिनियम में पट्टा विलेख के पुनः निष्पादन का प्रावधान नहीं होने के आधार पर संशोधित खनन योजना के अनुसार पट्टा विलेख के पुनः निष्पादन से मना कर दिया। अतः नियमों में प्रावधान न होने से, शासन ₹ 4.63 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और एक परिपत्र⁵ जारी किया जिसमें यह वर्णित किया है कि खनन योजना में उत्पादन की अनुमानित मात्रा में परिवर्तन/संशोधन होने पर, मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि के भुगतान हेतु पट्टेदार से एक शपथ पत्र लिया जाएगा। पुनः शासन ने कहा कि उपपंजीयक कोरबा और महानिरीक्षक पंजीयन, बिलासपुर को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि की वसूली हेतु संदर्भित किया गया है।

⁵ क्रमांक एफ 7-1/2004/12/दिनांक 24 नवम्बर 2011

3.3.3 औसत वार्षिक रायल्टी की गणना के लिए रायल्टी की गलत दर का आरोपण

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 15 मार्च 1993 (छत्तीसगढ़ में अंगीकृत) सहपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची I के अनुच्छेद 35 (अ)(iv)(v) के अनुसार 20 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादन के समय अनुमानित औसत वार्षिक रायल्टी की तीन गुने के 6.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस भी आरोपणीय है। उक्त नियम के अनुसार, खनन योजना या पट्टेदार के आवेदन में दर्शित औसत उत्पादन जो भी अधिक हो वह मुद्रांक शुल्क की गणना हेतु विचार में ली जाती है। पुनः, भारत सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2009) के अनुसार लौह अयस्क की रायल्टी की गणना हेतु विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत लिया जाता है।

प्रत्येक माह हेतु लौह अयस्क की रायल्टी दरें भारतीय खान ब्यूरो (आइ.बी.एम.) द्वारा दो तीन माह विलम्ब से प्रसारित की जाती है। छ.ग.गौ.ख. नियमावली या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों में, आई.बी.एम. द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से लौह अयस्क की रायल्टी दरों में उर्ध्वगामी संशोधन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर मात्रा के आरोपण हेतु प्रावधान नहीं है।

जि.ख.अ. कांकेर और राजनांदगाँव के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच में हमने पाया (जून 2010 और दिसम्बर 2011) कि छत्तीसगढ़ शासन और दो पट्टेदारों (मे. भिलाई इस्पात संयंत्र

(भि.इ.सं.) और मे. गोदावरी इस्पात और पावर लि.) के मध्य लौह अयस्क के खनन हेतु क्रमशः 23 अक्टूबर 2009 और 15 मार्च 2010 को 20 वर्षों की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादित किये गये। तदनुसार, माह अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 में लौह अयस्क की प्रचलित दरों (₹ 184.60 और ₹ 223.90 प्रति मी.ट.) के अनुसार औसत वार्षिक रायल्टी ₹ 235.79 करोड़ पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 45.98 करोड़ तथा ₹ 34.48 करोड़ आरोपणीय थी। इसके विपरीत, जि.ख.अ. द्वारा माह अगस्त 2009 और नवंबर 2009 में प्रचलित लौह अयस्क की दरों (₹ 70.50 और 65.80 प्रति मी.ट.) के आधार पर संगणित औसत वार्षिक रायल्टी ₹ 102.93 करोड़ पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 20.07 करोड़ एवं ₹ 15.05 करोड़ निर्धारित की गई। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 45.34 करोड़ का कम आरोपण/वसूली हुई (परिशिष्ट -II)।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि 24 नवंबर 2011 को एक परिपत्र⁶ जारी किया गया है जिसमें वर्णित है कि आई.बी.एम. द्वारा रायल्टी की दरों में सशोधन के कारण मुद्रांक शुल्क में अंतर उत्पन्न होता है तो अंतर मुद्रांक शुल्क के भुगतान हेतु पट्टेदार से एक शपथ पत्र लिया जावेगा। आगे यह कहा कि अंतर राशि की वसूली के लिए जिलाध्यक्ष, कांकेर एवं राजनांदगांव ने मांग पत्र जारी कर दिया है।

आगे, शासन ने सूचित किया (अप्रैल 2012) कि मार्च 2012 में एक पट्टेदार (भि.इ.सं.) से ₹ 42.73 करोड़ वसूल किया जा चुका है। परन्तु, अंतर राशि ₹ 2.61 करोड़ की वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2012)।

3.4 निष्क्रिय खदानों के पट्टों के निस्स्तीकरण में विलम्ब

ख.रि.नियम, 1960 के अनुसार यदि कोई पट्टेदार पट्टा विलेख निष्पादन दिनांक से दो वर्ष के भीतर खनन प्रारंभ नहीं करता है या संक्रिया प्रारंभ के पश्चात दो वर्ष की लगातार अवधि के लिए खनन संक्रिया बंद करता है तो, राज्य शासन एक आदेश द्वारा खनिज पट्टे को व्यपगत हो जाना घोषित करेगी और पट्टेदार को घोषणा संसूचित करेगी।

जि.ख.अ., दुर्ग के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच में हमने पाया (मई 2010) कि अवधि 1994 से 1999 के दौरान चार खनि पट्टे निष्पादित किये गये थे परन्तु, निष्पादन दिनांक से ही खनन संक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी थी। परन्तु विभाग ने नौ से 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात निष्क्रिय खनि पट्टों की सूचना

शासन को दी, और शासन ने विभाग की सूचना के दिनांक से 10 माह से छः वर्षों के अंतराल के पश्चात सितंबर और नवंबर 2009 के मध्य इन पट्टों को व्यपगत घोषित किया। अतः, खदानें 10 से 15 वर्षों की अवधि की सीमा तक निष्क्रिय पड़ी रही। इस अवधि में पट्टेदारों ने न तो अनिवार्य भाटक जमा किया और न ही जि.ख.अ. द्वारा कोई मांग जारी की गयी। यदि निष्क्रिय खनि पट्टों को निरस्त करने की समय से कार्यवाही की गई होती और नए पट्टे स्वीकृत किए जाते तो विभाग रायल्टी के रूप में कम से कम ₹ 55.44 लाख प्राप्त कर सकता था (उक्त पट्टा विलेखों में उल्लेखित वार्षिक रायल्टी के आधार पर)। विभाग पट्टा स्वीकृत होने के पश्चात दो वर्ष के भीतर शासन को सूचित करने में भी असफल रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने बताया कि खा.ख.वि.वि. अधिनियम 1957 की धारा 9 के अधीन जब पट्टा क्षेत्र से खनिज हटाई या उपभोग की जाती है तब रायल्टी देय होती है, अतः रायल्टी की हानि नहीं हुई है। परन्तु प्रशासकीय उद्देश्य से, निष्क्रिय पट्टों की निगरानी हेतु, विभाग का कम्प्यूटराइजेशन प्रगति पर है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि पट्टेदार अनिवार्य भाटक जमा कराने के लिए जिम्मेदार था जो न तो पट्टेदार द्वारा जमा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई। पुनः, विभाग द्वारा शासन को सूचित करने के साथ-साथ, शासन द्वारा पट्टों को व्यपगत घोषित करने में असाधारण विलंब था।

3.5 आवेदन का निराकरण न होने से राजस्व का अवरूद्ध होना

ख.रि.नियम 1960 के नियम 64 ग के अनुसार, विक्रय अथवा उपभोग के लिए पट्टा क्षेत्र से अवशिष्ट या अग्राह्य हटाई जाती है तो ऐसे अवशिष्ट या अग्राह्य रायल्टी के संदाय के लिये दायी होंगे। पुनः, ख.रि. नियमों के नियम 27(1)(ओ) के अनुसार राज्य सरकार आदेश द्वारा पट्टेदार को यह अनुमति दे सकेगी कि वह खनिज को ऐसी तादाद में और ऐसी रीति में व्यय कर दे जैसा कि उसमें लघु खनिज के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए।

उ.सं.ख.प्र., रायपुर के खनिज पट्टा प्रकरण नस्तियों की जाँच में हमने देखा कि एक पट्टेदार ने जुलाई 2008 में ख.रि. नियम के 27(1)(ओ) के अधीन रायल्टी के अग्रिम भुगतान के आधार पर 10 लाख मी.ट. अग्राह्य चूनापत्थर विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन किया। उ.सं.ख.प्र. ने 14 जनवरी 2009 को प्रस्ताव राज्य शासन को अनुमति हेतु अग्रेषित किया। परंतु यह देखा गया कि दो वर्ष

से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आवेदन न तो निरस्त किया गया और न ही पट्टेदार को अनुमति प्रदान की गयी। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 6.30 करोड़ अवरूद्ध हो गई।

बहिर्गमन सम्मेलन में, शासन ने बताया कि रायल्टी के भुगतान के पश्चात खनिज अग्राह्य को विक्रय की अनुमति (दिसम्बर 2011) में दी जा चुकी है।

3.6 पट्टा क्षेत्र और वास्तविक खनिज क्षेत्र में विसंगति

कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उपधारा(1) प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम के अधीन सरकारी कम्पनी में कोई खनिज पट्टे का अधिकार निहित किया जाता है तो निहित होने तथा निहित होने की दिनांक से सरकारी कम्पनी को राज्य शासन का पट्टेदार माना जावेगा। ख.रि.नि. का नियम 33 प्रावधानित करता है कि राज्य शासन के द्वारा जब खनिज पट्टा दिया जाता है तब राज्य शासन, पट्टेदार के व्यय पर पट्टे के अधीन दिए गए क्षेत्र के सर्वे और सीमांकन की व्यवस्था करेगी।

जि.ख.अ., कोरिया के खनिज प्रकरणों की नस्तियों की हमारी जाँच में प्रकट हुआ कि एक पट्टेदार अर्थात् साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एस.इ.सी.एल.) की दो कॉलरी के द्वारा खनिज कार्य के लिए कुल 5,898.28 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत की गयी थी। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉलरियों की कुल वन भूमि 5086.77 हेक्टेयर थी, जबकि खनिज साधन विभाग के अभिलेखों के अनुसार कॉलरियों के पास

5552.50 हेक्टेयर वन भूमि थी। अतः 465.73 हेक्टेयर अधिक वन भूमि पट्टेदार के आधिपत्य में थी। पुनः, वन विभाग के अनुसार कॉलरियों को आबंटित कुल राजस्व भूमि 265.03 हेक्टेयर थी जबकि खनिज साधन विभाग के अभिलेखों के अनुसार 341.45 हेक्टेयर राजस्व भूमि उनके आधिपत्य में थी। अतः कॉलरियों के पास 76.42 हेक्टेयर अतिरिक्त राजस्व भूमि थी। इसके बावजूद खनिज विभाग कोयला खनन के लिए पट्टेदार को आबंटित पट्टा क्षेत्र को सीमांकित करने में असफल रहा।

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

कॉलरी का नाम	कुल पट्टा क्षेत्र		राजस्व भूमि		राजस्व भूमि में अंतर	वन भूमि		वन भूमि में अंतर
	वन विभाग के अनुसार	खनिज साधन विभाग के अनुसार	वन विभाग के अनुसार	खनिज साधन विभाग के अनुसार		वन विभाग के अनुसार	खनिज साधन विभाग के अनुसार	
चरचा	4,643.33	4,767.36	144.13	216.22	72.09	4,499.2	4,551.14	51.94
कटकौना	712.8	1,130.92	120.9	125.23	4.33	587.57	1,001.36	413.79
योग	5,356.13	5,898.28	265.03	341.45	76.42	5,086.77	5,552.5	465.73

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि कोयला खनन के लिए, भूमि चाहे वन या राजस्व, भारत सरकार द्वारा कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम के अधीन सीधे अधिग्रहित की जाती है और राज्य शासन, खनिज विभाग इस प्रकरण में नहीं आता है। आगे यह बताया गया कि पट्टा क्षेत्र का औपचारिक सीमांकन सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सी.एम.पी.डी.आई.) द्वारा किया जाता है। वन विभाग और सी.एम.पी.डी.आई. से पट्टा क्षेत्र मानचित्र प्राप्त करके पट्टा क्षेत्र में अंतर की जांच की जावेगी। आगे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2012)।

3.7 अनुशासण

- राज्य शासन, शासन स्तर पर लंबित आवेदनों पर निगरानी हेतु एक पद्धति की व्यवस्था पर विचार कर सकती है। आगे, आवेदनों के समय पर निपटान हेतु अन्य विभागों के साथ शासन एक प्रभावी समन्वय तंत्र भी बना सकती है।
- राज्य शासन, खनन योजना में परिवर्तन के प्रकरणों में एक संशोधित परिवर्धित एग्रीमेंट के निष्पादन के लिए खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों में एक उप-खण्ड शामिल करने पर विचार कर सकती है।

- राज्य शासन, रायल्टी की दरों के विलम्बित प्रकाशन के कारण जब कभी शुल्क में अंतर उत्पन्न होता है वहाँ मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि के भुगतान हेतु पट्टा विलेख में एक उप-खण्ड जोड़ने हेतु विचार कर सकती है।
- राज्य शासन, राजस्व की वृद्धि हेतु निष्क्रिय खनिज पट्टों के समय पर निरस्तीकरण सुनिश्चित करने और इन पट्टों के पुनः आवंटन हेतु उचित तंत्र बनाने के लिए विचार कर सकती है।

रायल्टी और अन्य देय राशियों का निर्धारण एवं संग्रहण

4.1 प्रस्तावना

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(2) में प्रावधान है कि खनन पट्टे का धारक, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये और/या उपभोग किये गए किसी खनिज के संबंध में रायल्टी का भुगतान करेगा। पट्टेदारों को चाहिए कि वह विहित प्रारूप में मासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक विवरणी नियत दिनांको को प्रस्तुत करें। इन विवरणियों के आधार पर जि.ख.अ. पट्टेदारों के द्वारा जमा रायल्टी की सत्यता निर्धारित करते हैं। सभी पट्टों में, खानों के मासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक विवरणियों/प्रतिवेदनों के आधार पर अर्द्धवार्षिक रायल्टी निर्धारण किया जाता है।

4.2 लौह अयस्क का लम्प और चूर्ण के रूप में गलत वर्गीकरण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम के अनुसार खनन पट्टे का धारक उस दर से जो उस खनिज के संबंध में द्वितीय अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट है, पट्टा क्षेत्र से हटाए गए किसी खनिज के संबंध में रायल्टी का भुगतान करेगा। 12 अगस्त 2009 तक लौह अयस्क लम्प और चूर्ण की रायल्टी की दर 65 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व के लिए क्रमशः ₹27 प्रति टन एवं ₹19 प्रति टन, 65 से 62 प्रतिशत लौह तत्व के लिए क्रमशः ₹16 प्रति टन एवं ₹11 प्रति टन एवं 62 प्रतिशत से कम लौह तत्व के लिए क्रमशः ₹11 प्रति टन एवं ₹8 प्रति टन थी और तत्पश्चात विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्यानुसार थी। पुनः भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (भा.खा.ब्यू.) से स्पष्टीकरण (नवम्बर 2004) के अनुसार, 6 मि.मी. से अधिक आकार के अयस्क का वर्गीकरण लम्प एवं जो 6 मि.मी. से कम आकार के हैं उनका वर्गीकरण चूर्ण में किया है।

जि.ख.अ., दंतेवाड़ा में खनिज पट्टा प्रकरण नस्तियों और मासिक एवं वार्षिक विवरणियों की जाँच में हमने देखा(जून 2011) कि एक पट्टेदार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (रा.ख.वि.नि.) लिमिटेड, लौह अयस्क को लम्प और चूर्ण के रूप में प्रेषित कर रहा था और तदनुसार रायल्टी भुगतान कर रहा था। 6 मि.मी. से नीचे के अयस्क को चूर्ण में वर्गीकृत करने के उपरोक्त स्पष्टीकरण के विपरीत रा. ख. वि. नि. बचेली काम्पलेक्स द्वारा 10 मि.मी. के नीचे के लौह अयस्क को चूर्ण में वर्गीकृत किया

जबकि रा.ख.वि.नि. किरन्दुल काम्पलेक्स द्वारा मई 2009 तक 12.5 मि.मी. के नीचे के तथा जून 2009 से 10 मि.मी. के नीचे के लौह अयस्क को चूर्ण में वर्गीकृत किया था। इस

वर्गीकरण को अपनाकर पट्टेदार द्वारा अवधि 2006-07 से 2010-11 तक की अपनी विवरणियों में 5.97 करोड़ मी.ट. चूर्ण का खनन दर्शाया। विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

स.क्र.	काम्पलेक्स	निक्षेप क्र.	+65% लौह तत्व (मी.ट.)	-65%से +62% लौह तत्व (मी.ट.)	-62% लौह तत्व (मी.ट.)	चूर्ण का कुल उत्पादन (मी.ट.)
1	किरन्दुल	14,11सी	1,46,47,341	1,41,54,601	12,88,687	3,00,90,629
2	बचेली	5	1,20,19,698	53,73,346	3,88,860	1,77,81,904
3		10,11ए	44,30,995	54,14,863	19,74,000	1,18,19,858
योग			3,10,98,034	2,49,42,810	36,51,547	5,96,92,391

जि.ख.अ. के कार्यालय में लौह अयस्क के आकार अनुसार उत्पादन अभिलेख संघारित नहीं थे, अतः हम लम्प और चूर्ण की वास्तविक मात्रा और उस पर देय रायल्टी का आकलन करने में असमर्थ थे। हमने यह भी देखा कि लौह अयस्क का लम्प और चूर्ण के रूप में वर्गीकरण करने के लिए राज्य शासन ने कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि भा.खा.ब्यू. द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर लम्प और चूर्ण का आकार अधिसूचित करने के लिए, भारत सरकार को 25.10.2007 को एक संदर्भ किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि इस मामले पर राजस्व का रिसाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए लम्प और चूर्ण के आकार की अधिसूचना के संबंध में, राज्य शासन इस प्रकरण को भारत सरकार के साथ जारी रखे।

4.3 पर्यावरण उपकर और अधोसंरचना विकास उपकर

4.3.1 उत्खनि पट्टों पर पर्यावरण उपकर एवं अधोसंरचना विकास उपकर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन कोयला और लौह अयस्क को छोड़कर अन्य खनिज पट्टों के अधीन भूमि पर वार्षिक देय रायल्टी पर 5 प्रतिशत प्रत्येक की दर से अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर आरोपणीय है। पुनः, धारा 2(घ) के अनुसार "खनि पट्टे से अभिप्रेत है खा.ख.वि.वि.अधिनियम, 1957 के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा। छ.ग.गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 2(पचीस) के अनुसार उत्खनि पट्टा से अभिप्रेत है गौण खनिजों हेतु खनन पट्टा जैसा कि खा.ख.वि.वि.अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित है। पुनः, सं.भौ.ख. के आदेश (दिसम्बर 2009) के अनुसार उपकर उत्खनि पट्टों पर भी आरोपणीय है और वसूली खनिज विभाग के द्वारा की जाएगी। यह भी निर्देशित था कि उपकर के आरोपण एवं वसूली से संबंधित अभिलेख खनिज विभाग द्वारा संघारित की जाएगी।

दस¹ उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि दिसम्बर 2009 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा उत्खनि पट्टाधारियों से रायल्टी ₹ 79.10 करोड़ वसूल किया था परन्तु उक्त जमा रायल्टी पर अधोसंरचना विकास उपकर राशि ₹ 3.96 करोड़ एवं पर्यावरण उपकर ₹ 3.96 करोड़ का आरोपण करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.92 करोड़ के उपकर का अनारोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि उत्खनि पट्टों पर उपकर आरोपणीय नहीं है और उत्खनि पट्टों पर उपकर के आरोपण संबंधी सं.भौ.ख. के स्पष्टीकरण दिनांक दिसंबर 2009 को

निरस्त करते हुए एक परिपत्र क्रं एफ/12-03/2007/12 दिनांक 15.12.2011 जारी किया। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि उपकर अधिनियम 2005 की धारा 2(घ) प्रावधानित करती है कि खनन पट्टे के अधीन भूमि पर उपकर का आरोपण एवं संग्रहण किया जावेगा। पुनः, परिपत्र दिनांक 15.12.2011 के जारी होने के पूर्व सं.भौ.ख. द्वारा उत्खनि पट्टों पर उपकर के आरोपण पर कोई छूट प्रदान नहीं की गयी थी। इस स्थिति में उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. को उपकर का आरोपण और संग्रहण करना चाहिए था।

¹ बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर और सरगुजा

4.3.2 खनि पट्टों पर पर्यावरण उपकर और अधोसंरचना विकास उपकर की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005, के प्रावधानों के अधीन अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर, रायल्ली की देय राशि पर 5 प्रतिशत प्रत्येक की दर से आरोपणीय है। लौह अयस्क के प्रकरण में, उपकर प्रेषित मात्रा पर ₹ 5 प्रति टन प्रत्येक की दर से आरोपणीय है। पुनः, सं.भौ.ख. के आदेश (दिसम्बर 2009) के अनुसार उपकर खनिज विभाग द्वारा वसूली की जावेगी। यह भी निर्देशित किया गया था कि उपकर के आरोपण एवं संग्रहण से संबंधी अभिलेख खनिज विभाग द्वारा ही संधारित किया जावेगा।

दो² जि.ख.अ. के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच में हमने देखा (मई 2010 से मई 2011) कि 2006-07 से 2010-11 के मध्य चूनापत्थर और अन्य मुख्य खनिजों पर 43 पट्टेदारों ने रायल्ली ₹ 19.39 करोड़ का भुगतान किया। परन्तु, जि.ख.अ. ने उपकर राशि ₹ 1.94 करोड़ का आरोपण नहीं किया और इसकी वसूली के लिए

लेखापरीक्षा दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरह, यद्यपि दो अन्य पट्टेदारों ने 430.83 लाख मी.ट. लौह अयस्क का प्रेषण किया, विभाग ने एक प्रकरण में पर्यावरण उपकर का आरोपण नहीं किया और दूसरे प्रकरण में यद्यपि मांग सूचना जारी की गयी थी, जि.ख.अ. पर्यावरण और विकास उपकर राशि ₹ 42.91 करोड़ वसूल करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 44.84 करोड़ की वसूली नहीं हुई (परिशिष्ट III)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि एक पट्टेदार (भिलाई इस्पात संयंत्र) के प्रकरण में सितंबर 2011 में मांग सूचना जारी की गई और आक्षेपित राशि ₹ 42.72 करोड़ में से फरवरी 2012 तक ₹ आठ करोड़ वसूल किया जा चुका है और पट्टेदार शेष राशि को किश्तों में जमा करने हेतु सहमत हो गया है। अन्य दो³ प्रकरणों में जुलाई 2010 और सितंबर 2011 के मध्य आक्षेपित राशि वसूल की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में, यह कहा गया कि उपकर यथाशीघ्र वसूल कर लिया जायेगा।

² दुर्ग (मई 2010 और मई 2011) और कांकेर (जून 2010)

³ ए.सी.सी.लि0 और गोदावरी इस्पात प्रा.लि.

4.4 कोयले पर रायल्टी का कम आरोपण

4.4.1 कोयले पर रायल्टी की गलत दर अपनाया जाना

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए/उपभोग किए गए खनिज पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी का भुगतान का उत्तरदायी है। भारत सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2007) के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के कोयले की रायल्टी आर.ओ.एम. कोयले की बेसिक पिटहेड प्राइस के आधार पर नियत की जाती है। कोरिया-रीवा कोलफील्ड की बेसिक पिटहेड प्राइस कोरबा-रायगढ़ कोलफील्ड से अधिक थी। ख.रि.नियम के नियम 64 क के अनुसार, यदि पट्टेदार देय दिनांक पर रायल्टी भुगतान करने में चूक करता है, तो वह भुगतान देय दिनांक के 60वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज भुगतान का दायी होगा।

उ.सं.ख.प्र., कोरबा, की खनन योजना और पट्टा प्रकरण नस्तियों की जांच में हमने देखा कि एक पट्टेदार प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को हसदेव अरण्ड क्षेत्र (चोटिया ब्लॉक) में एक कोल ब्लॉक आवंटित (जनवरी 2006) हुआ था, जो कोरिया-रीवा कोलफील्ड में अवस्थित था। साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एस.इ.सी.एल.)⁴ ने भी स्पष्ट किया (दिसंबर 2011) कि हसदेव-अरण्ड क्षेत्र कोरिया-रीवा कोलफील्डस में अवस्थित है। रायल्टी के उद्देश्य के लिए, पट्टेदार ने कोरबा-रायगढ़ कोलफील्डस के लिए प्रयोज्य आर.ओ.एम. 'डी' की बेसिक

पिटहेड कीमत को आधार माना और तदनुसार प्रेषित मात्रा पर रायल्टी का भुगतान किया। हसदेव-अरण्ड क्षेत्र कोरिया-रीवा कोलफील्डस में अवस्थित है अतः रायल्टी की उच्चतर दर आरोपणीय थी। अगस्त 2007 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान पट्टेदार ने 35,20,870 मी.ट. डी ग्रेड कोयला उत्खनन कर प्रेषित किया और देय रायल्टी ₹ 43.10 करोड़ के विरुद्ध ₹ 39.31 करोड़ रायल्टी राशि का भुगतान किया। अतः, खदान की अवस्थिति से रायल्टी के भुगतान को सत्यापित करने में उ.सं.ख.प्र. के असफल रहने के परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 3.79 करोड़ का कम आरोपण हुआ। रायल्टी के कम भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.60 करोड़ भी आरोपणीय है (परिशिष्ट IV)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि रायल्टी दर के निर्धारण के लिए मामला कोयला नियंत्रक के ध्यान में लाया जाएगा। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2012)।

⁴ कोल इंडिया लिमिटेड का एक सहायक

4.4.2 न्यूनतम दर के अनुसार रायल्टी का कम भुगतान

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए या उपभोग किए गए खनिज पर द्वितीय अनुसूची में वर्णित दरों पर रायल्टी का भुगतान का उत्तरदायी है। पुनः, ख.रि.नियम के नियम 64(क) के अनुसार, यदि पट्टेदार देय दिनांक पर रायल्टी भुगतान करने में चूक करता है, तो वह भुगतान देय दिनांक के 60 वें दिवस से 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज के भुगतान का दायी होगा। ख.सं.वि.नि., 1988 के नियम 52 के अनुसार, प्रत्येक खान का मालिक, एजेन्ट, माइनिंग इंजीनियर या प्रबंधक राज्य शासन के जिस इलाके में खान अवस्थित है वहां के कार्यालय में मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक विवरण की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। कोयला मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2007 के अनुसार, रायल्टी की दरें एक विशिष्ट और मूल्यानुसार दरों का योग होगी। कोयले की समान श्रेणी हेतु कोयले की कीमत कोर उपभोक्ताओं के प्रकरण में सबसे कम और नॉन-कोर उपभोक्ताओं एवं इ-खरीददारों के प्रकरण में थोड़ी अधिक होती है।

दो⁵ उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. की मासिक विवरणियों की जांच में हमने देखा (जून 2011) कि, एक पट्टेदार साउथ इस्टर्न कोल्फील्डस लिमिटेड (एस.इ.सी.एल.) ने पट्टा क्षेत्र से 43.01 लाख मी.ट. कोयला प्रेषित किया और रायल्टी ₹ 51.48 करोड़ का भुगतान किया। पट्टेदार की मासिक विवरणियों में कोर उपभोक्ताओं⁶, नॉन-कोर उपभोक्ताओं⁷ और ई-खरीददारों को आपूर्ति की गयी कोयले की मात्रा और प्रयोज्य रायल्टी की दर दर्शायी नहीं गई है। तथापि भारत के कोयला नियंत्रक के द्वारा संबंधित

श्रेणी के कोयले के लिए घोषित प्रयोज्य दर के अनुसार न्यूनतम देय रायल्टी (लेखापरीक्षा द्वारा कोर उपभोक्ता की दर पर संगणित) ₹ 77.35 करोड़ थी। संबंधित उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. पट्टेदार के द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों की जांच करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 25.87 करोड़ और उस पर ब्याज ₹ 13.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

⁵ कोरबा और कोरिया

⁶ उर्जा, खाद और रक्षा प्रभाग को आपूर्ति किए गए कोयले का वर्गीकरण कोर सेक्टर में किया गया है।

⁷ उर्जा, खाद और रक्षा प्रभाग के अतिरिक्त आपूर्ति किए गए कोयले का वर्गीकरण नान-कोर सेक्टर में किया गया है।

(₹लाख में)

स. क्र.	जि.ख. अ	कॉलरी का नाम	कोयले की श्रेणी	अवधि	प्रेषित मात्रा (मी.ट.)	देय न्यूनतम रायल्टी (श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम दर के अनुसार)	भुगतान रायल्टी	कम भुगतान	आरोपणीय ब्याज
1	कोरबा	रजगामार	स्लैक'बी''	जुलाई 2008-सितम्बर 2010	1,13,838	222.11	149.92	72.19	26.50
		सुराकछार	स्टीम'बी'	अगस्त 2007-मार्च 2011	28,41,745	5,624.86	3,562.62	2,062.24	1,046.72
			स्लैक'सी''	अगस्त 2007-मार्च 2011	13,21,132	1,838.70	1,387.01	451.68	242.35
2	कोरिया	झगराखण्ड पश्चिम	स्टीम'ए'	अगस्त 2007	13,835	28.33	27.67	0.66	0.54
			स्लैक'बी''	अगस्त 2007	10,678	20.63	20.60	0.03	0.03
योग					43,01,228	7,734.63	5,147.82	2,586.81	1,316.14

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि रजगामार कॉलरी में स्टीम'बी' कोयले की कुछ मात्रा स्लैक 'बी' में मिश्रित हो गयी थी और एस.ई.सी.एल. ने विहित रायल्टी दरों के आधार पर रायल्टी का भुगतान किया। सुराकछार कॉलरी में पट्टेदार द्वारा जमा रायल्टी उचित थी। पश्चिम झगराखण्ड कॉलरी में आक्षेपित राशि ₹1.19 लाख वसूल की जा चुकी है।

शासन का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सुराकछार कॉलरी की पिछली मासिक विवरणियों (अगस्त 2007 के पूर्व) में भुगतान की गयी रायल्टी कोयले की प्रेषित मात्रा के अनुरूप थी। रजगामार कॉलरी में, कोयले की प्रेषित मात्रा के साथ साथ जमा की गई रायल्टी राशि को लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात बदल दिया गया।

4.5 बॉक्साइट पर रायल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, बॉक्साइट के संदर्भ में रायल्टी की दर अयस्क में एलुमिना की मात्रा पर आरोपित की जाती है। सं.भौ.ख. के द्वारा जारी निर्देशों (मई 2006) के अनुसार संचालनालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अयस्क का नमूना लिया जाकर और एलुमिना मात्रा के प्रतिशत का विश्लेषण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 30 तारीख तक जि.ख.अ. को भेजा जाना आवश्यक था और परिणाम के आधार पर बॉक्साइट की रायल्टी निर्धारित की जानी थी।

जि.ख.अ., सरगुजा, के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा की एक पट्टेदार, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) 43 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक की सीमा के एलुमिना श्रेणी के बॉक्साइट (इसके कोरबा संयंत्र में उपयोग) पर रायल्टी का भुगतान कर रहा था। परंतु, खनन योजना के अनुसार, कोरबा संयंत्र में आवश्यक एलुमिना की औसत श्रेणी 48 प्रतिशत थी। मैनुअल छँटनी के द्वारा अयस्क की औसत श्रेणी 48 प्रतिशत पर रखी जाती थी। इस प्रकार संयंत्र में प्रेषित

एवं उपयोग की गई एलुमिना 48 प्रतिशत की थी परंतु रायल्टी के निर्धारण के दौरान यह 43 से 47 प्रतिशत के मध्य लिया गया। हमने आगे देखा कि मई 2006 और मार्च 2011 के मध्य सं.भौ.ख. के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, ने मात्र सात अवसरों पर अयस्कों का नमूना संग्रहण और जाँच किया। नमूना जाँच के परिणाम के आधार पर, बॉक्साइट अयस्क में एलुमिना की औसत श्रेणी 48 प्रतिशत से अधिक थी। परंतु, रायल्टी के निर्धारण के दौरान, जि.ख.अ. ने नमूना जाँच के परिणामों पर विचार नहीं किया और पट्टेदार की विवरणियों को स्वीकार कर लिया। जुलाई 2006 से दिसंबर 2010 के दौरान पट्टेदार ने 25.55 लाख मी.ट. बॉक्साइट का प्रेषण किया और देय रायल्टी ₹ 27.81 करोड़ के विरुद्ध ₹ 26.07 करोड़ का भुगतान किया। जि.ख.अ. ने न तो नमूना जाँच के परिणामों पर विचार किया और न ही क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, से अन्य माहों के नमूना परिणामों को प्राप्त करने के लिए पहल की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.74 करोड़ की रायल्टी का कम आरोपण हुआ। ब्याज ₹ 83.13 लाख भी आरोपणीय था।

बहिर्गमन सम्मेलन में, शासन ने बताया कि मई 2006 में रायल्टी निर्धारण के पूर्व नमूनों की प्रयोगशाला जाँच द्वारा बॉक्साइट अयस्क में एलुमिना की प्रतिशत मात्रा का निर्धारण करने संबंधी परिपत्र जारी किया जा चुका है। जि.ख.अ. को पूर्व निर्धारणों में एलुमिना की प्रतिशतता की जाँच हेतु पुनः निर्देश जारी किए गए हैं और यदि कोई रायल्टी का कम निर्धारण ध्यान में आता है, तो इसे पट्टेदार से वसूल किया जावेगा। विभाग ने यह भी कहा कि विभिन्न पट्टा क्षेत्रों से समय समय पर एलुमिना की श्रेणी की जाँच की जा रही है और नमूना संग्रहण प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया जायेगा।

4.6 लौह अयस्क पर रायल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम प्रावधान करता है कि खनन पट्टे का धारक उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाई गयी या उपभोग की गयी खनिज पर रायल्टी का भुगतान करेगा। लौह अयस्क पर रायल्टी की दर खनिज में उपलब्ध लौह तत्व की मात्रा पर आधारित होती है। सितंबर 2010 में आयोजित एक समीक्षा बैठक में, सचिव (खनिज साधन विभाग) ने समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया था कि वे जि.ख.अ. को रायल्टी निर्धारण हेतु लौह, बॉक्साइट और टिन अयस्क के नमूना विश्लेषण परिणाम उपलब्ध करावें।

जि.ख.अ. दुर्ग, की मासिक विवरणियों, खनन योजनाओं और पट्टा प्रकरण नस्तियों की जाँच के दौरान हमने देखा कि भिलाई इस्पात संयंत्र को राजहरा (मशीनीकृत खदान) में लौह अयस्क का खनन पट्टा 1958 में प्रदान किया गया और अप्रैल 2003 में 20 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया। 2006-07 से 2010-11 की अवधि में, लौह अयस्क में लौह तत्व की मात्रा सत्यापित किए बिना रायल्टी का भुगतान किया गया। खनन योजना और खनन स्कीम में दर्शित रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के

आधार पर अयस्क में लौह तत्व 65 प्रतिशत से अधिक थे। दिसंबर 2007 में क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा लौह अयस्क के लिए गए नमूना जाँच में लौह तत्व की मात्रा 65 प्रतिशत से अधिक थी। 2003-04 से 2007-08 के दौरान पट्टेदार ने भी अपने खनन योजना में दर्शाया था कि क्रशिंग और छनाई संयंत्र में डाली गई आर.ओ.एम. की गुणवत्ता 65 प्रतिशत से अधिक थी।

2006-07 से 2010-11 के दौरान, पट्टेदार ने 63,70,540 मी.ट. लौह अयस्क उत्खनित किया और देय रायल्टी ₹ 94.20 करोड़ (65 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व) के विरुद्ध 62 से 65 प्रतिशत लौह तत्व पर रायल्टी ₹ 72.38 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार लौह अयस्क में लौह तत्व के सत्यापन न किए जाने से रायल्टी ₹ 21.82 करोड़ का कम आरोपण हुआ। ब्याज ₹ 5.91 करोड़ भी आरोपणीय था।

बहिर्गमन सम्मेलन में, शासन ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रयोगशाला प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मामले का परीक्षण किया जावेगा। विभाग उत्खनित खनिज की श्रेणी/गुणवत्ता के आधार पर रायल्टी का संग्रहण करता है न कि खनन योजना के आधार पर। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि न तो क्षेत्रीय कार्यालय ने अयस्क का नमूना संग्रहण एवं जाँच किया और न ही सितम्बर 2010 के निर्देशों का जि.ख.अ. द्वारा पालन किया गया।

4.7 कोयले पर रायल्टी का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए गए/उपभोग किए गए खनिज पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी का भुगतान करने का उत्तरदायी है। भारत सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2007) के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के कोयले की रायल्टी दरें आर.ओ.एम. कोयले की बेसिक पिटहेड मूल्य के आधार पर नियत की जाती हैं। कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक मार्च 2010 को चोटिया कोल ब्लॉक, सीम II के कोयले की श्रेणी आर.ओ.एम. 'डी' इस शर्त पर अधिसूचित की थी कि, निरीक्षण के पश्चात या नमूना लेने से यदि घोषित श्रेणी अधिसूचित श्रेणी से मेल नहीं करती है तो, खान का मालिक, एजेंट या प्रबंधक कोयला नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार श्रेणी को संशोधित करने के लिए बाध्य होगा।

उ.सं.ख.प्र., कोरबा के खनिज पट्टा प्रकरण नस्त्रियों, मासिक विवरणियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि एक पट्टेदार, प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (प्र.इ.लि.) को 2006 में चोटिया क्षेत्र में कोयला ब्लॉक आबंटित हुआ था। पट्टा जारी करने के समय से ही पट्टेदार चोटिया कोयला ब्लॉक-1 की सीम II से कोयला उत्खनन कर रहा था और 'डी' श्रेणी कोयले पर रायल्टी का भुगतान कर रहा था। परंतु, कोयला नियंत्रक द्वारा अनुमोदित मूल खनन योजना और संशोधित खनन योजना के आधार पर चोटिया ब्लॉक-1 की सीम II के

खनिज भण्डार की श्रेणी क्रमशः⁸ 'बी' (10 प्रतिशत) 'सी' (61 प्रतिशत) और 'डी' (29 प्रतिशत) थी। पट्टेदार की खनन योजना भी ब्लॉक में कोयला भण्डार की श्रेणी 'ए' से 'ई' दर्शाती थी। इसके अलावा, पट्टा विलेख निष्पादन के समय पट्टेदार ने 'सी' और 'डी' श्रेणी के कोयले के आधार पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का भुगतान किया था।

2006-07 से 2010-11 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर ने जनवरी 2007, अक्टूबर 2009 और अक्टूबर 2010 में लिए गए नमूनों की जाँच की और इनमें कोयले की श्रेणी क्रमशः जी, सी और डी होना पाया गया। कोयला नियंत्रक, कोलकाता ने भी जनवरी 2010 में सीम से लिए गए कोयले के नमूने का परिणाम 'बी' श्रेणी सूचित किया था।

2006-07 से 2010-11 के दौरान, पट्टेदार ने 44,42,329 मी.ट. कोयला प्रेषित किया और 'डी' श्रेणी की दर पर रायल्टी का भुगतान किया। खनन योजना में दर्शित श्रेणी के आधार पर बी, सी और डी श्रेणी के कोयले की मात्रा क्रमशः 4,44,233 मी.ट., 27,09,821 मी.ट. और 12,88,275 मी.ट. थी। तदनुसार रायल्टी राशि ₹ 62.29 करोड़ आरोपणीय थी। इसके

⁸ सर्वेयर के प्रतिवेदन के अनुसार चोटिया ब्लॉक-1 की सीम II में 10 से 20 मीटर गहराई तक कोयले का उत्खनन किया गया है। इस गहराई पर कुल 4.598 मी.ट. कोयला भण्डार है। खनन योजना में दर्शाए अनुसार इसमें से 0.455 मी.ट. 'बी' श्रेणी कोयला 2.818 मी.ट. 'सी' श्रेणी तथा 1.325 मी.ट. 'डी' श्रेणी कुल कोयला भण्डार था जो कुल मिलाकर क्रमशः 10 प्रतिशत, 61 प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत होता है।

विरुद्ध उ.सं.ख.प्र. कोरबा ने ₹ 47.14 करोड़ आरोपित और संग्रहित की। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 15.14 करोड़ का कम आरोपण हुआ। ब्याज राशि ₹ 7.96 करोड़ भी आरोपणीय थी (परिशिष्ट V)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि मामला कोयला नियंत्रक के ध्यान में लाया जाएगा जो कोयला खदानों में कोयले की श्रेणी के वैधानिक घोषणा के लिए उत्तरदायी हैं। आगे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2012)।

4.8 प्रक्रियागत हानि पर अनियमित छूट

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली के नियम 30(ख) के अनुसार, पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में उपभोग होने वाली या परिवहन किये गये खनिज की मात्रा पर अनुसूची III में तत्समय प्रचलित दर से रायल्टी का भुगतान करेगा।

उ.सं.ख.प्र., रायपुर में पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि चूनापत्थर के 13 उत्खनिपट्टा धारियों ने जनवरी 2006 और दिसंबर 2010 के मध्य, 132.07 लाख घनफीट चूनापत्थर बोल्टर का क्रशिंग के लिए उपयोग किया और 115.06 लाख घ.फी. चूनापत्थर गिट्टी (मेटल) उत्पादन किया। इस प्रक्रिया में, 17.01लाख घ.फी. (85,066 मी.ट.) चूनापत्थर हानि के रूप में दर्शाया गया। यह हानि 5.6 से 28.8 प्रतिशत की सीमा के मध्य थी। खनि निरीक्षक के निर्धारण प्रतिवेदनों में, रायल्टी केवल उत्पादित मेटल पर ही निर्धारित की गई और पट्टेदार द्वारा दर्शित हानि पर नहीं की गई। चूंकि छ.ग.गौ.ख. नियमावली में प्रक्रियागत हानि पर छूट का कोई प्रावधान नहीं है, प्रक्रियागत हानि पर रायल्टी की छूट अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 48.37 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन में, शासन ने बताया कि जब डस्ट विक्रय की जाती है तब पट्टेदार रायल्टी का भुगतान करता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि निर्धारण प्रतिवेदन में न तो डस्ट का उत्पादन दर्शाया गया था और न ही डस्ट पर रायल्टी निर्धारित की गई थी।

4.9 रायल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली

खा.ख.वि.वि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत खनि पट्टाधारी, पट्टाक्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए खनिज पर रायल्टी का भुगतान करने के दायित्वाधीन है। अतः, जैसे ही खनिज हटाया जाता है, रायल्टी देय हो जाती है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार माँग की जा सकती है। सं.भौ.ख. के निर्देशों (अप्रैल 2006) के अनुसार प्रत्येक छह माह में एक बार रायल्टी का निर्धारण किया जाना होता है।

जि.ख.अ., दंतेवाडा के खनि पट्टा प्रकरण नस्त्रियों, निर्धारण अभिलेखों और मासिक विवरणियों की नमूना जाँच में हमने पाया कि जि.ख.अ. ने पट्टेदार (एन.एम.डी.सी) की जनवरी 2003 से जून 2007 तक की अवधि की देय रायल्टी विवरणियों के आधार पर ₹ 18.53 करोड़ का निर्धारण किया और माँग सूचना

(दिसम्बर 2007) जारी कर दी। इसके विरुद्ध पट्टेधारी ने इस दलील के साथ कि छःमाही विवरणियों में आंकड़े सही नहीं थे, ₹ 4.45 करोड़ की रायल्टी का भुगतान जून 2008 में किया। इसके बावजूद जि.ख.अ. द्वारा न तो पट्टेधारी की दलील का परीक्षण करने हेतु कोई कार्यवाही की और न ही वसूली योग्य बकाया राशि की गणना और वसूली की गई।

आगे, उ.सं.ख.प्र., रायपुर और जि.ख.अ., रायगढ़ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो पट्टेधारियों द्वारा समेकित रायल्टी ₹ 9.18 करोड़ का भुगतान किया गया। हमारे द्वारा मासिक विवरणियों और अन्य अभिलेखों से रायल्टी की गणना करने पर उजागर हुआ कि इन पट्टेधारियों के विरुद्ध रायल्टी की राशि ₹ 9.65 करोड़ आरोपणीय थी। उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. (रायगढ़/रायपुर) द्वारा न तो देय रायल्टी का निर्धारण किया गया और न ही रायल्टी की वसूली हेतु कोई माँग सूचना जारी की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47 लाख की कम वसूली हुई। ब्याज राशि ₹ 12 लाख भी आरोपणीय थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹लाख में)

स.क्र.	उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ.	खनिज	देय रायल्टी	भुगतान की गई रायल्टी	कम प्राप्ति	ब्याज
1	दन्तेवाड़ा	लौह अयस्क	1853.29	444.96	1408.33	1070.33
2	रायगढ़	कोयला	951.87	906.83	45.04	11.50
3	रायपुर	चूनापत्थर	13.42	11.59	1.83	0.04
योग			2818.58	1363.38	1455.20	1081.87

बहिर्गमन सम्मेलन के समय और फरवरी 2012 में दिये गये उत्तर में शासन ने कहा कि दन्तेवाड़ा में, संचालक स्तर पर रायल्टी की जाँच और निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया जावेगा। रायगढ़ में, ₹ 65.51 लाख में से, ₹ 44.41 लाख जनवरी 2011 से अप्रैल 2011 के मध्य जमा हो गया। ब्याज राशि ₹ 21.10 लाख अक्टूबर 2011 में जमा हो गया। इसी प्रकार, रायपुर में आपत्ति की राशि ₹ 13.42 लाख की पूर्ण वसूली हो चुकी है। यह तथ्य रह जाता है कि जि.ख.अ., दन्तेवाड़ा में विभाग मुद्दे को सुलझाने और चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पट्टेधारी से वसूलनीय बकाया की वसूली करने में असफल रहा। रायगढ़ और रायपुर के प्रकरण में उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि से संबंधित नहीं है। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2012)।

4.10 रायल्टी के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का अनारोपण

ख.रि. नियम के नियम 64 (क) के अनुसार, यदि पट्टेधारी रायल्टी नियत दिनांक को जमा नहीं करता है, तो वह नियत दिनांक की समाप्ति की तारीख के साठवे दिन से भुगतान किए जाने की तिथि तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

दो उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों, निर्धारण और मासिक विवरणियों की जाँच में पाया गया कि चार प्रकरणों में पट्टेधारियों ने जनवरी 2003 से मार्च 2009 की अवधि से संबंधित रायल्टी को नियत दिनांकों के बाद जमा किया। देशी की

अवधि 120 दिनों से 365 दिनों की सीमा के मध्य थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

स.क्र.	उसंखप्र/ जिखअ	पट्टेधारी का नाम	प्रकरणों की संख्या	भुगतान की गई रायल्टी की राशि	देरी की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय ब्याज 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष	अनियमितताओं की प्रकृति
1	दंतेवाडा	एन एम डी सी लिमि.	1	805.12	120- 150	73.31	रायल्टी की शेष राशि जो जनवरी 2003 से जून 2007 की अवधि से संबंधित थी, पट्टेधारी द्वारा मई और जून 2008 में 120 से 150 दिनों के विलम्ब के पश्चात जमा कराई गई।
2	रायपुर	1. मे. ग्रासिम सीमेंट 2. मे. अम्बुजा सीमेंट	3	177.41	330- 365	41.14	रायल्टी की शेष राशि जो फरवरी 2009 से मार्च 2009 की अवधि से संबंधित थी, पट्टेधारी द्वारा फरवरी एवं मार्च 2010 में 335 से 365 दिनों के विलम्ब के पश्चात जमा किया गया।
	योग		4	982.53		114.45	

तथापि उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा ब्याज राशि ₹ 1.14 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ ब्याज की वसूली नहीं हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि रायपुर जिले में ₹ 41.14 लाख की आपत्ति राशि अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2011 में पूर्ण रूप से वसूली हो चुकी है। जि.ख.अ. दंतेवाडा के संबंध में शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

4.11 रायल्टी और ब्याज की राशि का कम निर्धारण

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों के नियम 29(4)के अनुसार, पट्टेदार खनिजों के हटाए जाने या उपभोग करने पर अनुसूची III में समय समय पर दी गई दरों के अनुसार रायल्टी का भुगतान करेगा। नियम 30(1)(ख) में प्रावधान है कि पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए जाने वाली या परिवहन की गई खनिज मात्रा के संबंध में रायल्टी का भुगतान करेगा। नियम 30(1)(घ) में प्रावधान है कि रायल्टी भुगतान में चूक पर पट्टेदार 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। नियम 30 (14) के अनुसार पट्टेदार द्वारा उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन रायल्टी भुगतान के पूर्व उसे पहले के उपयोग किये गये सभी अभिवहन पास की दूसरी प्रतियों की पुस्तक के साथ उपयोग न किए गए अभिवहन पास की पुस्तक जो उसे जारी की गई थी समर्पित करेगा और नए अभिवहन पास जारी किए जाएंगे।

जि.ख.अ. राजनांदगाँव के खनिज पट्टा प्रकरण नस्तियों की जाँच में हमने पाया कि एक पट्टाधारी, अशोका बिल्डकान लिमिटेड को अगस्त 2007 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मारगाँव (6.25 एकड़) में बोल्टर के लिए पट्टा दिया गया। जनवरी 2008 से जून 2009 की अवधि में, जिखअ द्वारा 8400 अ.पा. जारी किए गए। प्रत्येक अ.पा. पर पट्टेधारी द्वारा 10 घ.मी. चूनापत्थर का परिवहन किया गया किन्तु जि.ख.अ. ने कुल उपयोग लाए गए अ.पा. को ध्यान में रखे बिना मात्र 4199 अ.पा. पर रायल्टी का निर्धारण किया। उपरोक्त अवधि में जि.ख.अ. ने देय रायल्टी ₹ 33.60 लाख (₹ 40 प्रति घ.मी.) के विरुद्ध रायल्टी राशि ₹ 16.57 लाख का निर्धारण किया। इस अवधि में पट्टेधारी द्वारा ₹ 29 लाख की

रायल्टी अग्रिम जमा की गई। अतः अन्तर की रायल्टी ₹ 4.60 लाख का न तो जि.ख.अ. द्वारा निर्धारण किया गया और न ही इसकी वसूली के लिए माँग जारी की गई। ब्याज ₹ 1.75 लाख भी आरोपणीय था।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि मामले का प्रतिसत्यापन पट्टाधारी के अभिलेखों से किया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2012)।

4.12 अनुशंसाएँ

- नियमों के अनुरूप रायल्टी प्रभारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियाविधि लागू करने पर शासन विचार कर सकता है।
- राजस्व की हानि रोकने हेतु मासिक विवरणियों की नियमित जाँच करने के लिए और उनका मिलान संबंधित अभिलेखों से करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए।
- छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप उपकर का आरोपण किए जाने हेतु सभी जि.ख.अ. को निर्देश जारी किए जाने हेतु शासन विचार कर सकता है।
- कोर उपभोक्ताओं, नान-कोर उपभोक्ताओं और ई.क्रेताओं को पूर्ति किए गए कोयले की मात्रा और उसकी दर के विवरण को मासिक विवरणी में दर्शाए जाने के संबंध में शासन विचार कर सकता है।
- विभागीय स्तर पर लौह अयस्क के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने तथा खनन योजना में दर्शाई गई श्रेणी की प्रत्येक माह तुलना करने के संबंध में एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है।
- कोयले के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने पर घोषित श्रेणी में अंतर पाए जाने पर कोयला नियंत्रक को सूचित करने संबंधी एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है।

खनिजों का अनधिकृत उत्खनन और परिवहन

5.1 प्रस्तावना

खा.ख. वि.वि. अधिनियम 1957 की धारा 21(5) प्रावधानित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसा उठाया गया खनिज बरामद कर सकती है या जहां ऐसा खनिज पहले से ही निराकृत कर दिया गया हो, तो उसका मूल्य रायल्टी के साथ वसूल कर सकती है।

खनिजों के अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम एवं निगरानी हेतु खनिज साधन विभाग में संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म कार्यालय, रायपुर में एक उड़नदस्ता है। जिला कार्यालयों में नियुक्त क्षेत्रीय अमला भी खनिजों के अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों का पता लगाती है।

जैसा कि खा.ख.वि.वि. अधिनियम एवं छ.ग.गौण खनिज नियमों में प्रावधानित है, खनिजों के अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन का प्रशमन, क्रमशः मुख्य खनिजों के प्रकरण में खनिज के मूल्य की वसूली करके तथा गौण खनिज के प्रकरण में रायल्टी का 10 गुणा तक शास्ति अधिरोपित करके किया जाता है।

5.2 अनधिकृत उत्खनन

ख.सं.वि. नियम, 1988 के नियम 13(1) के अनुसार, खनन पट्टे का प्रत्येक धारक अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रियाओं को संचालित करेगा। यदि खनन संक्रियाएं खनन योजना के अनुसार संचालित नहीं की जाती है तो क्षेत्रीय नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो (भा.खा.ब्यू.) या प्राधिकृत अधिकारी समस्त या किन्ही खनन संक्रियाओं के निलम्बन का आदेश दे सकेगा। नियम 12(3) के अनुसार, खनन योजना जिसके लिए गत अवसर पर अनुमोदित किया गया था को पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के कम से कम 120 दिवसों के पूर्व क्षेत्रीय नियंत्रक को प्रस्तुत करना होगा। जुलाई 2008 में जारी किए गए शासन के निर्देशानुसार, यदि खनन संक्रियाएं अनुमोदित खनन योजना के अनुसार संचालित नहीं की जाती है और यदि पट्टेदार नियमों का अनुपालन नहीं करता है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय नियंत्रक भा.खा.ब्यू. को भेजा जाना चाहिए। खा.ख.वि.वि.अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार, जब कभी कोई व्यक्ति किसी विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि से कोई खनिज उठाया जाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसा उठाया गया खनिज बरामद कर सकेगी या जहां ऐसा खनिज पहले से ही निराकृत कर दिया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति से उसका मूल्य तथा लगान, रायल्टी अथवा कर भी वसूल कर सकती है।

सं.भौ.ख. के नियंत्रण में एक उड़नदस्ता कार्यशील है जिसमें छः पदों की स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध दो से तीन व्यक्ति कार्यरत हैं। हमने पाया कि अनधिकृत उत्खनन के प्रकरणों का पता लगाने के लिए उड़नदस्ते के लिए कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। यह दस्ता शासन/सं.भौ.ख.स्तर पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्य करता है।

हमने पाया कि 2006-07 से 2010-11 की अवधि में उड़नदस्ता द्वारा अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के 938 प्रकरणों का पता लगाया गया और शास्ति ₹ 97.06 लाख की वसूली भी की गई।

हमारी नमूना जांच में लिए उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. के अभिलेखों की जांच में अनधिकृत उत्खनन के प्रकरणों में खनिजों के मूल्य की वसूली न होना तथा अभिवहन पासों का दुरुपयोग उजागर हुआ जिनकी चर्चा निम्न है:

5.3 अनधिकृत उत्खनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/अवसूली

5.3.1 जि.ख.अ. जांजगीर-चाम्पा के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की हमारी नमूना जांच में उजागर हुआ कि दो पट्टेदार मे. मंगल मिनरल्स और मे.डोलोमाइट माइनिंग कारपोरेशन को डोलोमाइट खनन के लिए (क्रमशः मई 1995 एवं मार्च 2002) में पट्टे स्वीकृत किए गए। चूंकि पट्टेदारों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गये थे, अतः जिलाध्यक्ष, जांजगीर-चाम्पा ने खनन संक्रियाएं रोकने हेतु आदेश जारी (जनवरी 2009) किया। परन्तु, मासिक विवरणियों से हमने पाया कि पट्टेदारों द्वारा फरवरी एवं मार्च 2009 में 27,840 मी.ट. डोलोमाइट का अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन किया गया। मे. डोलोमाइट माइनिंग कारपोरेशन के प्रकरण में जि.ख.अ. द्वारा न तो अनधिकृत उत्खनन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई और न ही अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिज (27,550 मी.ट.) के मूल्य राशि ₹1.26 करोड़ की वसूली की गई। मे. मंगल मिनरल्स के प्रकरण में अनधिकृत उत्खनित खनिज 290 मी.ट. पर ₹1.83 लाख की शास्ति आरोपित (फरवरी 2010) की गई परन्तु 16 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी उसकी वसूली नहीं की गई (जून 2011)।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि, चूंकि पट्टेदारों ने पर्यावरण अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया है, पट्टेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पर्यावरण मंडल द्वारा ही की जाएगी। पर्यावरण मण्डल ने भी मे. डोलोमाइट मिनरल कारपोरेशन को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के प्रभाव से दे दी थी। परन्तु तथ्य फिर भी रह जाता है कि एक प्रकरण में पट्टेदार ने कलेक्टर के खनन संक्रियाओं को रोकने के आदेश के बावजूद, पट्टा क्षेत्र से निरन्तर खनन संक्रियाओं को जारी रखा एवं खनिजों का परिवहन किया तथा विभाग द्वारा खनिजों के मूल्य की वसूली नहीं की गई जबकि दूसरे प्रकरण में आरोपित शास्ति की वसूली नहीं की गई।

5.3.2 जि.ख.अ. रायगढ़ के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों की एवं खनन योजना की हमारी नमूना जांच में उजागर हुआ कि एक पट्टेदार, मे. मोनेट इस्पात लि. को रायगढ़ जिले में कोयला उत्खनन हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, 2009-10 के आगे से सीम-III से कोयले का उत्खनन किया जाना था। परन्तु, अभिलेखों की जांच में उजागर हुआ कि पट्टेदार द्वारा 2006-07, 2007-08 और 2008-09 की अवधि में 8,56,781 मी.ट. कोयले का उत्खनन किया गया जो कि अनुमोदित खनन योजना में दी गई मात्रा से अधिक था। अतः पट्टेदार द्वारा खोदा गया कोयला अनधिकृत था और पट्टेदार से उत्खनित कोयले का मूल्य राशि ₹ 54.75 करोड़ वसूलनीय था। जि०ख०अ० रायगढ़ द्वारा न तो खनन योजना के उल्लंघन करने पर पट्टेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई और न ही उत्खनित कोयले के मूल्य ₹ 54.75 करोड़ की वसूली की कोई कार्यवाही की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि, कोयले की खनन योजना, कोयला नियंत्रक के द्वारा अनुमोदित की जाती है और योजना का उल्लंघन करने पर पट्टेदार के विरुद्ध कार्यवाही भारत सरकार द्वारा ही की जाएगी। राज्य शासन ने भी खनन योजना में दर्शाई गई मात्रा से अधिक उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन भारत सरकार को अक्टूबर 2011 में भेज दिया है।

5.3.3 जि.ख.अ. सरगुजा के खनि पट्टा प्रकरण नस्तियों एवं खनन स्कीम की नमूना जांच (मई 2011) में हमने पाया कि बरिमा बॉक्साइट खदानें (क्षेत्र 11.705 हे. और 80.414 हे.) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम जो कि एक राज्य सा.क्षे.उ. है, को सितम्बर 1999 से 20 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई। अनुमोदित खनन स्कीम मार्च 2009 में समाप्त हो गई थी। ख.सं.वि. नियमों के नियम 12(3) के अनुसार, पट्टेदार को एक नई खनन स्कीम अनुमोदन हेतु नवम्बर 2008 तक प्रस्तुत करना था। हमने अभिलेखों से देखा कि पट्टेदार द्वारा खनन स्कीम, भा.खा.ब्यू. को नवम्बर 2010 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई जो कि 24 माह के विलम्ब के पश्चात थी। चूँकि खनन योजना अनुमोदन हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई, भा.खा.ब्यू. ने पुनः एक नवीन खनन स्कीम प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ उसे वापस (जनवरी 2011) कर दिया। लेखापरीक्षा की तिथि (मई 2011) तक खनन स्कीम अनुमोदन हेतु लंबित थी। इस अवधि के दौरान पट्टेदार द्वारा अनुमोदित खनन स्कीम के बिना खनन क्षेत्र से 2,32,695.51 मी.ट. बॉक्साइट का अनधिकृत उत्खनन और परिवहन किया गया। अतः पट्टेदार से खनिज का मूल्य राशि ₹ 7.59 करोड़ वसूलनीय था। तथापि जि.ख.अ., सरगुजा द्वारा न तो अनधिकृत उत्खनन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की और न ही उत्खनित खनिज का मूल्य वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात् जि.ख.अ. ने कहा कि दिसम्बर 2010 से अभिवहन पास जारी करना बंद कर दिया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि ख.स.वि.वि. 1988 के नियम 13(1) के अंतर्गत पट्टेधारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। पट्टेधारी ने अपने पत्र दिनांक 7.9.2011 से सूचित किया कि 27.6.2011 को खनन स्कीम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी गई है तथा खनिजों का उत्खनन बंद कर दिया है।

5.4 बॉक्साइट का कम/अधिक परिवहन

मेरालग्राम रेल्वे साइडिंग से बॉक्साइट के प्रेषण के संबंध में जि.ख.अ. सरगुजा के द्वारा दी गई जानकारी की जांच में हमने पाया (दिसम्बर 2011) कि एक पट्टेदार, मे. हिन्डालको लिमि. के पास तीन पट्टे (सामरी, कुदाग, टाटीझरिया) थे और इसने सड़क द्वारा बॉक्साइट का प्रेषण मेरालग्राम रेल्वे साइडिंग (झारखण्ड) में किया जो तत्पश्चात रेल द्वारा इसके अपने कैप्टिव संयंत्र रेणुकूट (उत्तरप्रदेश) में परिवहन किया गया। जि.ख.अ. से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2006-07 के दौरान पट्टेधारी के पास मेरालग्राम रेल्वे साइडिंग में प्रारंभिक शेष में 67,520 मी.ट. बॉक्साइट था और खनिज क्षेत्र से 5,92,126.07 मी.ट. बॉक्साइट का प्रेषण किया था। रेल्वे साइडिंग¹ से प्रेषण के संबंध में प्राप्त जानकारी से इन आंकड़ों का प्रतिसत्यापन करने पर उजागर हुआ कि पट्टेदार द्वारा रेणुकूट संयंत्र में रेल द्वारा 6,35,227.8 मी.ट. बॉक्साइट का परिवहन किया गया था। अतः उपरोक्त के आधार पर पट्टेदार के पास 24,418.27 मी.ट. बॉक्साइट का अंतिम शेष के रूप में होना चाहिए था। किन्तु, जि.ख.अ. के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2006-07 के अन्त में अंतिम शेष 24,418.27 मी.ट. के बजाय 20,191.03 मी.ट. था। इससे यह परिलक्षित होता है कि

¹ प्रधान निदेशक (रेल्वे लेखापरीक्षा) हाजीपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी

पट्टेदार द्वारा 4227.24 मी.ट. बॉक्साइट का खान से प्रेषण तो किया गया परन्तु रेणुकूट संयंत्र में परिवहन नहीं किया गया और खनिज के अन्यत्र उपयोग के लिए परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार, पट्टेधारी के पास 2007-08 के प्रारम्भ में प्रारंभिक शेष 20,191.03 मी.ट. था तथा 5,22,806.34 मी.ट. बॉक्साइट का प्रेषण पट्टा क्षेत्र से किया गया। इन आंकड़ों का रेल्वे साईडिंग से प्रेषण के संबंध में प्राप्त जानकारी से प्रतिसत्यापन किए जाने पर उजागर हुआ कि पट्टेधारी द्वारा 5,44,013 मी.ट. बॉक्साइट का प्रेषण किया गया था। अतः, पट्टेधारी के पास अंतिम शेष 3,211.57 मी.ट. बॉक्साइट होना चाहिए था। जि.ख.अ. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-08 के अंत में अंतिम शेष में 3,211.57 मी.ट. के विरुद्ध 5,221.41 मी.ट. बॉक्साइट था जिससे यह परिलक्षित होता है कि 2,009.84 मी.ट. बॉक्साइट का मेरालग्राम रेल्वे साईडिंग को अवैध परिवहन किया गया। अतः, खनिज की मूल्य राशि ₹ 7.93 लाख पट्टेदार से वसूलनीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि वर्ष 2006-07 में रायल्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है एवं वर्ष 2007-08, के लिए जि.ख.अ., को अभिलेखों की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2006-07 में 4227.24 मी.ट. बॉक्साइट की मात्रा में अंतर का पुनर्मिलान एवं कारणों को नहीं बताया गया।

5.5 अभिवहन पास (अ.पा.)

5.5.1 अभिवहन पास का दुबारा उपयोग

राजस्व के रिसाव/चोरी को रोकने के लिए, छ.ग.गौ.ख. नियम प्रावधानित करता है कि पट्टेधारी या कोई अन्य व्यक्ति पट्टा क्षेत्र से खनिज का प्रेषण संबंधित जि.ख.अ. के द्वारा जारी किए गए वैध अभिवहन पास के बिना नहीं करेगा। आगे, नियम 29(7) के अनुसार, अभिवहन पास की मूल प्रति गाडी के ड्रायवर को दी जानी चाहिए और कार्बन कापी अभिवहन पास बुक में रखी जाएगी। अभिवहन पास बुक भरते समय दोनों कापियों के बीच में कार्बन पेपर का उपयोग किया जाए जिससे मौलिक इन्द्राज द्वितीय प्रति में भी आ जाए। अभिवहन पास पर जारी किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाए। चेक पोस्ट पर अभिवहन पास प्रस्तुत किए जाने का दिनांक और समय लिखने में भूल या अभिवहन पास पर ऊपरी लेखन शास्ति आकर्षित करता है। एक वाहन को प्रत्येक ट्रिप के लिए केवल एक ही अभिवहन पास जारी किया जाएगा। खनिज जांच चौकी पर, अभिवहन पास में दी गई जानकारी को चेक पोस्ट पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

दो² उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. में चेक पोस्ट पंजी और उपयोग में लाए गए अभिवहन पास बुक की हमारी जांच में उजागर हुआ कि दो चेक पोस्ट (मूरा और मंदिर हसौद)में 12 पट्टेधारियों द्वारा 40 प्रकरणों में अपने अभिवहन पास का पुनः उपयोग किया गया और 581 मी.ट. चूना पत्थर और 18 घ.मी. मुरुम का प्रेषण अभिवहन पासों के पुनः उपयोग से किया। इन सभी प्रकरणों में परिवहन का समय और/या वाहन क्रमांक मौलिक अभिवहन पास में दर्शाये गये से भिन्न पाए गए। अतः इन खनिजों का परिवहन अवैध था। विभाग चेक पोस्ट पर अभिवहन पास की जांच करने में असफल रहा और इन वाहनों को अवैध अभिवहन पास के द्वारा चेक पोस्ट से जाने दिया गया जबकि ये अभिवहन पास अभिलेखों में पहले से ही दर्ज

थे। ₹ 3.39 लाख की शास्ति आरोपणीय थी जिसका आरोपण भी नहीं किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताएं मुख्यतः पंजियों के अनुचित ढंग से संधारण किये जाने के कारण हुई है जिसके लिए चेक पोस्ट स्टाफ को कारण बताओ सूचना जारी की जा चुकी है। लेखा परीक्षा में इंगित किए गए प्रकरणों की समीक्षा की गई और जो साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे उन पट्टेधारियों को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है।

² बिलासपुर और रायपुर

5.5.2 अभिवहन पासों के उपयोग में अनियमितताएं

जि.ख.अ. बिलासपुर के अभिलेखों की जांच में, हमने दो पट्टेधारियों के प्रकरणों में निम्न अनियमितताएं पाईं:

- 11 अभिवहन पासों में कार्बन पेपर का प्रयोग नहीं किया गया।
- 15 प्रकरणों में, दोनों प्रतियां(मूल और द्वितीय) अभिवहन पास बुक में नहीं पाई गईं।
- अभिवहन पास में खान का नाम, जिला, खनिज का नाम और उसका ग्रेड, पट्टाधारी का नाम, प्रेषक का नाम, प्रेषण का दिनांक और समय, प्रेषण का गंतव्य स्थल, खनिज की मात्रा, खनिज का विक्रय मूल्य, मालिक/वाहक का नाम और पंजीयन संख्या, हस्ताक्षर आदि विवरण होना चाहिए। किन्तु हमने 11 प्रकरणों में अभिवहन पासों में दिनांक, समय और क्रेता का नाम दर्ज नहीं पाया।
- दो प्रकरणों में खनिज की मात्रा का विवरण अभिवहन पासों में नहीं दिया गया।
- आठ प्रकरणों में अभिवहन पास पर खान प्रबंधक के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, राज्य शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि कोरे अभिवहन पासों को निरस्त कर दिया गया है और उपयोग में लाए गए अभिवहन पासों पर निगरानी रखने हेतु पंजी का संधारण किया जा रहा है।

5.6 अनुशंसाएँ

- शासन खनन संक्रियाओं का अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कड़ाई से संचालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने एवं अनधिकृत खनन का पता लगाने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना पर विचार कर सकता है।
- खनिजों के पट्टा क्षेत्र से निकासी पश्चात कौप्टिव संयंत्र में ही उपयोग पर नजर रखने के लिए शासन एक निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है।
- अभिवहन पासों का पुनः उपयोग रोकने के लिए निर्धारण के समय उपयोग में लाए गए अभिवहन पासों को चेक पोस्ट के अभिलेखों से प्रतिसत्यापन किये जाने के लिए शासन एक पद्धति निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

खनिज नियमों और विनियमों का क्रियान्वयन

6.1 कोषालय अभिलेखों में चालानों का न पाया जाना

उ.सं.ख.प्र., रायपुर के खनिज पट्टा प्रकरण की नस्तियों और कोषालय प्राप्तियों की नमूना जांच में, हमने पाया(मई 2011) कि दो प्रकरणों में, ₹ 76,500 की रायल्टी दो चालानों के द्वारा मई 2009 और मार्च 2011 में शासन के खाते में जमा की गई थी।

किन्तु, इन चालानों का प्रतिसत्यापन कोषालय अभिलेखों से करने पर हमें उपरोक्त चालान राशियां समेकित कोषालय प्राप्ति विवरणी में नहीं पाई गई। विभाग भी इन खोए चालानों को ढूँढ पाने में असफल रहा और उ.सं.ख.प्र. द्वारा इस विसंगति का समाशोधन किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि एक चालान राशि ₹ 31,500 को कोषालय में ढूँढ लिया गया है दूसरे पट्टाधारी, अनिता जैन, के प्रकरण का परीक्षण जिलाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। पहले चालान का लेखापरीक्षा द्वारा आगे परीक्षण किए जाने पर यह उजागर हुआ कि चालान की राशि यद्यपि समान थी, किन्तु पट्टाधारी का नाम भिन्न था। दूसरे पट्टाधारी के प्रकरण में आगामी प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ(अगस्त 2012)।

6.2 खनिज के अस्थायी भण्डारण के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त न करना

छत्तीसगढ़ खनिज(खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के नियम 6 के अनुसार, पट्टेधारी पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज के अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/क्रशिंग के लिए प्रारूप 7 में एक अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होता है। प्रथम 250 मी.ट. के लिए भण्डारण शुल्क ₹ 20,000 और उसके पश्चात् प्रत्येक 100 मी.ट. या उसके भाग के लिए देय शुल्क की दर ₹ 2,000 है।

जि.ख.अ., दन्तेवाडा, के खनिज पट्टा प्रकरण नस्तियों और मासिक विवरणियों की जांच में हमने पाया कि एक पट्टाधारी, एन.एम.डी.सी.लि. ने पट्टा क्षेत्र के बाहर स्थित रेलहेड बचेली और किरन्दुल से लौह अयस्क का प्रेषण किया। रेलहेड पर

पट्टाधारी निम्न श्रेणी लौह अयस्क को उच्च श्रेणी लौह अयस्क के साथ मिलाता है। अगस्त 2009 से मार्च 2011 के मध्य पट्टेधारी ने बचेली निक्षेप क्र. '5','10','11ए' से रेलहेड पर 11.85¹लाख मी.ट. लौह अयस्क का अस्थायी भण्डारण किया। इसी प्रकार

¹ बचेली (निक्षेप संख्या 5,10, एवं 11ए)- 11,85,387 मी.ट.-250मी.ट. =11,85,137मी.ट./100=11,852x ₹ 2000= ₹ 2,37,04,000 + ₹ 20,000= ₹ 2,37,24,000

किरन्दुल निक्षेप क्रं '14','11सी' से रेलहेड पर 61.56² लाख, मी.ट. लौह अयस्क का भण्डारण किया गया। चूंकि खनिजों का पट्टा क्षेत्र के बाहर भण्डारण किया गया, अतः पट्टेधारी को जिलाध्यक्ष(खनिज) दन्तेवाडा से भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक था। किन्तु न तो पट्टेधारी द्वारा अनुज्ञापत्र प्राप्त किया गया और न ही जि.ख.अ. द्वारा खनिजों का भण्डारण पट्टा क्षेत्र से बाहर करने पर पट्टाधारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। इसके फलस्वरूप भण्डारण शुल्क की राशि ₹ 14.69 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि बचेली और किरन्दुल से प्रेषित खनिज, पट्टा क्षेत्र से लगे डंपिंग यार्ड/रेल्वे साइडिंग में अस्थाई भण्डारण किया जाता है। अतः, खनिजों के अस्थाई भण्डारण के लिए अनुमति मांगने के लिए कहना व्यवहारिक नहीं है। हम सहमत नहीं हैं जैसा कि विभाग के मई 2012 के उत्तर में कहा गया था कि पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिजों को मिलाता है। अतः पट्टाधारी ने न केवल पट्टा क्षेत्र के बाहर लौह अयस्क का अस्थाई भण्डारण किया बल्कि रेलहेड पर लौह अयस्क को भी मिलाया था। अतः उक्त नियमों के अनुसार अनुमति लेना आवश्यक था।

6.3 पर्यावरणीय सम्मति के बिना खनन संक्रियाएँ

वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) और जल(प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (छ.प.सं.म.) की पूर्व सम्मति के नहीं करेगा। राज्य शासन द्वारा सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित (जुलाई 2004) किया गया था कि जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सभी पत्थर क्रशरों को छ.प.सं.म. से पर्यावरणीय सम्मति लेना आवश्यक है।

दो उ.सं.ख.प्र.³ के प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच तथा अन्य तीन जि.ख.अ.⁴ से प्राप्त जानकारी से हमने देखा कि 434 में से 289 पत्थर क्रशर पट्टाधारियों द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति लिया जाना अभिलेखों में नहीं थी। तथापि इन पट्टाधारियों द्वारा खनन संक्रियाएँ जारी रखी गईं और विभाग ने पट्टाधारियों द्वारा छ.प.सं.म. से आवश्यक प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। अन्य जि.ख.अ. में, न तो पर्यावरणीय सम्मति से संबंधित अभिलेख संधारित पाए गए और न ही जि.ख.अ.उन पट्टाधारियों की जानकारी देने में समर्थ हुए जिनके पास मण्डल से सम्मति है।

² किरन्दुल (14 एवं 11सी)- 61,56,254-250 मी.ट. =61,56,004मी.ट./100= 61561 x ₹ 2000= ₹ 12,31,22,000+ ₹ 20,000= ₹ 12,31,42,000

³ कोरबा और रायपुर

⁴ दन्तेवाडा, जांजगीर-चांपा और कोरिया

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि सभी जिला खनिज कार्यालयों को यह निर्देश दिए जाएंगे कि पर्यावरण मण्डल से सम्मति प्राप्त किए बिना नए पट्टे प्रदान न किए जाए। रायपुर जिले में समस्त पट्टाधारियों ने पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर ली है। कोरबा जिले में, मण्डल से पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त न करने के कारण 28 में से 6 पट्टाधारियों से कार्यानुमति वापस ले ली गई है।

यद्यपि शासन द्वारा जुलाई 2004 में छ.प.सं.म. से पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने की आवश्यकता संबंधी निर्देश जारी किए गए, विभाग द्वारा इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। आगे जिला या सं.भौ.ख./शासन स्तर पर कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक खदान पर्यावरणीय सम्मति के साथ या बिना कार्यरत है। रायपुर के प्रकरणों के संबंध में, उ.सं.ख.प्र. रायपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सम्मतिधारियों की सूची, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों से मेल नहीं करती है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी पट्टाधारी द्वारा किसी औद्योगिक संयंत्र के संचालन हेतु पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर ली गई है को सुनिश्चित करने के लिए शासन एक निगरानी तंत्र की स्थापना पर विचार कर सकती है।

6.4 अनुशंसा

- *विभाग उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा समयबद्ध प्रतिवेदन/विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था पर विचार कर सकता है जिसमें उन प्रकरणों को इंगित किया जाए जिनमें पर्यावरणीय सम्मति की आवश्यकता हो और पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन संक्रियाएं होने को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र का विकास करना चाहिए।*

(पूर्ण चंद्र माझी)

रायपुर

महालेखाकार(लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(विनोद राय)

दिनांक

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

पदों एवं संक्षिप्तियों की पारिभाषिक शब्दावली

स.ख.अ.	सहायक खनि अधिकारी
छ.गौ.ख.नि.	छत्तीसगढ गौण खनिज नियमावली, 1996
सं.भौ.ख.	संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म
उ.सं.ख.प्र.	उप संचालक खनि प्रशासन
जि.ख.अ.	जिला खनि अधिकारी
भा.स.	भारत सरकार
आ.ले.प्र.	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ
भा.खा.ब्यू.	भारतीय खान ब्यूरो
ख.सं.वि.नि.	खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली, 1988
ख.रि.नि.	खनिज रियायत नियम, 1960.
ख.नि.	खनि निरीक्षक
खा.ख.वि.वि.	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
मी.ट.	मीट्रिक टन
सा.क्षे.उ.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आर.ओ.एम.	रन आफ माइन्स
मु.शु. एवं पं.फी.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस
या.च.प्र.बि.पु.स्था.	सामान्य यादृच्छिक चयन प्रणाली बिना पुनःस्थापना
अ.पा.	अभिवहन पास

परिशिष्ट I

(संदर्भ कांडिका 3.3.1)

स.क्र.	उ.सं.ख.प्र./ जि.ख.अ.	पट्टेदार का नाम	खनिज	पट्टे की अवधि (वर्ष)	प्रस्तावित उत्पादन का औसत (मी.ट.)		औसत वार्षिक रायल्टी (विभाग के अनुसार)	औसत वार्षिक रायल्टी (लेखापरीक्षा के अनुसार)	मुद्रांक शुल्क (₹)			पंजीयन फीस (₹)			योग (₹)
					प्रथम पांच वर्षों का औसत	पूर्ण पट्टा अवधि का औसत			वसूलनीय	वसूला गया	कम वसूली	वसूलनीय	वसूला गया	कम वसूली	
1	रायपुर	मे. इमामी सीमेंट लि.	चूनापत्थर	30	21,02,000	29,92,000	13,24,26,000	18,84,96,000	6,43,24,260	4,51,90,400	1,91,33,860	4,59,45,900	3,22,78,875	13667025	3,28,00,885
2	बिलासपुर	मे. ए.सी.सी. लि.	चूनापत्थर	30	10,94,000	34,32,466	6,89,22,000	21,62,45,399	7,37,90,869	2,35,19,633	5,02,71,236	5,53,43,152	1,67,99,838	3,85,43,314	8,88,14,550
3	दुर्ग	मे. ए.सी.सी. लि.	चूनापत्थर	30	1,23,750	1,41,500	55,68,750	63,67,500	23,40,056	20,47,000	2,93,056	17,55,042	15,35,225	2,19,817	5,12,873
4	जांजगीर- चांपा	श्री पुष्पेंद्र सिंह	डोलोमाइट	20	7,482	39,370.5	4,71,366	24,80,341.5	4,83,666	68,938	4,14,728	3,62,750	51,964	3,10,786	7,25,514
योग					33,27,232	66,05,336.5	20,73,88,116	41,35,89,240.5	14,09,38,851	7,08,25,971	7,01,12,880	10,34,06,844	5,06,65,902	5,27,40,942	12,28,53,822

परिशिष्ट II
(संदर्भ कंडिका 3.3.3)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	पट्टेदार का नाम	पट्टा निष्पादन/पंजीयन का दिनांक /वर्ष/खनिज	प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन(मी.ट.)	औसत वार्षिक रायल्टी			मुद्रांक शुल्क			पंजीयन फीस			अन्तर
				लेखापरीक्षा अनुसार	विभाग के अनुसार	अन्तर	आरोपणीय	आरोपित	कम आरोपित	आरोपणीय	आरोपित	कम आरोपित	
1	भिलाई इस्पात संयंत्र	अक्टूबर 2009/20/ लौह अयस्क	1,40,00,000	223.93	98.70	125.23	43.67	19.25	24.42	32.75	14.43	18.31	42.73
2.	गोदावरी इस्पात और पावर लि0	मार्च 2010/20/ लौह अयस्क	5,30,000	11.87	4.23	7.64	2.31	0.82	1.49	1.73	0.62	1.12	2.61
योग			1,45,30,000	235.80	102.93	132.87	45.98	20.07	25.91	34.48	15.05	19.43	45.34

परिशिष्ट III

(संदर्भ कंडिका 4.3.2)

स.क्र.	जि.ख.का.	प्रकरणों की संख्या	पट्टेदार का नाम	खनिज	उत्पादन/प्रेषण (मी.ट.)/सायल्टी भुगतान (₹)					कुल (मी.ट.)	आरोपणीय उपकर (₹)		कुल आरोपणीय उपकर (₹)
					2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11		अधोसंरचना विकास उपकर	पर्यावरण उपकर	
1	कांकेर	1	गोदावरी इस्पात प्रा० लि०	लौह अयस्क	-	-	-	3,54,317	-	3,54,317	-	17,71,586	17,71,586
2	दुर्ग	1	भिलाई इस्पात संयंत्र	लौह अयस्क	82,41,300	89,88,411	85,51,801	83,84,883	85,62,112	4,27,28,507	21,36,42,535	21,36,42,535	42,72,85,070
	उप योग	2			82,41,300	89,88,411	85,51,801	87,39,200	85,62,112	4,30,82,824	21,36,42,535	21,54,14,121	42,90,56,656
3	दुर्ग	1	ए.सी.सी	चूनापत्थर	0	0	2,84,17,811	4,32,68,747	5,85,79,379	13,02,65,937	65,13,297	65,13,297	1,30,26,594
4	दुर्ग	42	विभिन्न पट्टेदार		2,18,12,347	2,35,87,212	1,82,26,543	-	-	6,36,26,102	31,81,305	31,81,305	63,62,610
	उप योग	43			2,18,12,347	2,35,87,212	4,66,44,354	4,32,68,747	5,85,79,379	19,38,92,039	96,94,602	96,94,602	1,93,89,204
	योग	45			3,00,53,647	3,25,75,623	5,51,96,155	5,20,07,947	6,71,41,491	23,69,74,863	22,33,37,137	22,51,08,723	44,84,45,860

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए "मुख्य एवं गौण खनिज से प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट IV
(संदर्भ कंडिका 4.4.1)

माह	कोयले का उत्पादन (मी.ट.)	कोयले की प्रेषित मात्रा (मी.ट.)	हसदेव अरंद क्षेत्र डी ग्रेड कोयले की दर (₹)	कोरवा रायगढ़ क्षेत्र डी ग्रेड कोयले की दर (₹)	देय रायल्टी (₹)	भुगतान रायल्टी (₹)	कम भुगतान रायल्टी (₹)	ब्याज 24% की दर से (₹)
अगस्त-07	73850.00	73802.50	116.00	106.50	8561090.00	7859966.00	701124.00	616989.12
सितम्बर-07	75306.00	75257.16	116.00	106.50	8729830.56	8014888.00	714942.56	614850.60
अक्टूबर-07	70196.00	70151.10	116.00	106.50	8137527.60	7471092.00	666435.60	559805.90
नवम्बर-07	80318.00	80423.58	116.00	106.50	9329135.28	8565111.00	764024.28	626499.91
दिसम्बर-07	82180.00	82065.86	116.00	106.50	9519639.76	8910224.00	609415.76	487532.61
जनवरी-08	76006.00	76005.64	120.50	110.00	9158679.62	8360620.00	798059.62	622486.50
फरवरी-08	70490.00	70496.78	120.50	110.00	8494861.99	7754646.00	740215.99	562564.15
मार्च-08	75334.00	75428.10	120.50	110.00	9089086.05	8297091.00	791995.05	586076.34
	603680.00	603630.72			71019850.86	65233638.00	5786212.86	4676805.14
अप्रैल-08	84028.00	84059.76	120.50	110.00	10129201.08	9246574.00	882627.08	635491.50
मई-08	85022.00	85050.46	120.50	110.00	10248580.43	9355551.00	893029.43	625120.60
जून-08	65128.00	65078.96	120.50	110.00	7842014.68	7158686.00	683328.68	464663.50
जुलाई-08	50064.00	50050.4	120.50	110.00	6031073.2	5505544.00	525529.20	346849.27
अगस्त-08	67018.00	66024.1	120.50	110.00	7955904.05	7262651.00	693253.05	443681.95
सितम्बर-08	82068.00	83023.58	120.50	110.00	10004341.39	9132594.00	871747.39	540483.38
अक्टूबर-08	87066.00	87053.12	120.50	110.00	10489900.96	9575843.00	914057.96	548434.78
नवम्बर-08	72058.00	72025.18	120.50	110.00	8679034.19	7922770.00	756264.19	438633.23

दिसम्बर-08	72030.00	72053.38	120.50	110.00	8682432.29	7925872.00	756560.29	423673.76
जनवरी-09	73836.00	73445.94	120.50	110.00	8850235.77	8079053.00	771182.77	416438.70
फरवरी-09	84700.00	85188.84	120.50	110.00	10265255.22	9370772.00	894483.22	465131.27
मार्च-09	95648.00	95036.33	120.50	110.00	11451877.77	10453967.00	997910.77	498955.38
	918666.00	918090.05			110629851.03	100989877.00	9639974.03	5847557.33
अप्रैल-09	86982.00	87613.38	120.50	110.00	10557412.29	9637472.00	919940.29	441571.34
मई-09	95494.00	94611.30	120.50	110.00	11400661.65	10407243.00	993418.65	456972.58
जून-09	100030.00	100368.32	120.50	110.00	12094382.56	11040515.00	1053867.56	463701.73
जुलाई-09	80150.00	80259.18	120.50	110.00	9671231.19	8828510.00	842721.19	353942.90
अगस्त-09	75012.00	75147.80	120.50	110.00	9055309.90	8266258.00	789051.90	315620.76
सितम्बर-09	72030.00	72131.96	120.50	110.00	8691901.18	7934516.00	757385.18	287806.37
अक्टूबर-09	79856.00	80033.16	120.50	110.00	9643995.78	8961466.00	682529.78	245710.72
नवम्बर-09	81060.00	80003.80	125.50	114.00	10040476.90	9120889.00	919587.90	312659.89
दिसम्बर-09	79086.00	80147.66	125.50	114.00	10058531.33	9136833.00	921698.33	294943.47
जनवरी-10	84196.00	84041.66	125.50	114.00	10547228.33	9580749.00	966479.33	289943.80
फरवरी-10	81130.00	79622.18	125.50	114.00	9992583.59	9076929.00	915654.59	256383.29
मार्च-10	84490.00	85549.00	125.50	114.00	10736399.50	9752618.00	983781.50	255783.19
	999516.00	999529.40			122490114.20	111743998.00	10746116.20	3975040.02
अप्रैल-10	81130.00	81087.86	125.50	114.00	10176526.43	9244016.00	932510.43	223802.50
मई-10	85022.00	85103.92	125.50	114.00	10680541.96	9701847.00	978694.96	215312.89
जून-10	93702.00	93383.66	125.50	114.00	11719649.33	10645737.00	1073912.33	214782.47

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए "मुख्य एवं गौण खनिज से प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

जुलाई-10	89460.00	90299.90	125.50	114.00	11332637.45	10294189.00	1038448.45	186920.72
अगस्त-10	80856.00	80364.72	125.50	114.00	10085772.36	9161578.00	924194.36	147871.10
सितम्बर-10	79542.00	80027.44	125.50	114.00	10043443.72	9123128.00	920315.72	128844.20
अक्टूबर-10	81312.00	80463.92	125.50	114.00	10098221.96	9172887.00	925334.96	111040.20
नवम्बर-10	79394.00	80165.66	125.50	114.00	10060790.33	9138885.00	921905.33	92190.53
दिसम्बर-10	78918.00	79065.88	125.50	114.00	9922767.94	9013510.00	909257.94	72740.64
जनवरी-11	85652.00	83354.04	125.50	114.00	10460932.02	9502361.00	958571.02	57514.26
फरवरी-11	80290.00	81514.68	125.50	114.00	10230092.34	9375473.00	854619.34	34184.77
मार्च-11	84266.00	84788.20	142.00	127.00	12039924.40	10768101.00	1271823.40	25436.47
	999544.00	999619.88			126851300.24	115141712.00	11709588.24	1510640.75
		3520870.05			430991116.33	393109225.00	37881891.33	16010043.23

परिशिष्ट V
(संदर्भ कंडिका 4.7)

माह	कोयले का उत्पादन (मी.ट.)	कोयले की प्रेषित मात्रा (मी.ट.)	कार्यशील रिजर्व सीम 2 में डी ग्रेड की मात्रा 10% (मी.ट.)	कार्यशील रिजर्व सीम 2 में सी ग्रेड की मात्रा 61% (मी.ट.)	कार्यशील रिजर्व सीम 2 में डी ग्रेड की मात्रा 29% (मी.ट.)	हसदेव अरन्द के वी ग्रेड कोयला की दर (₹)	हसदेव अरन्द के सी ग्रेड कोयला की दर (₹)	हसदेव अरन्द के डी ग्रेड कोयला की दर (₹)	देय रायल्टी (₹)	भुगतान रायल्टी (₹)	कम भुगतान रायल्टी (₹)	व्याज 24% की दर से (₹)
जुलाई-06	50100	47012.51	4701.25	28677.63	13633.63	165	115	85	5232492.36	3996063.00	1236429.36	1409529.47
अगस्त-06	57019	60035.45	6003.55	36621.62	17410.28	165	115	85	6681945.59	5103013.00	1578932.59	1768404.50
सितम्बर-06	56000	55880.13	5588.01	34086.88	16205.24	165	115	85	6219458.47	4749811.00	1469647.47	1616612.22
अक्टूबर-06	72000	71854.87	7185.49	43831.47	20837.91	165	115	85	7997447.03	6107664.00	1889783.03	2040965.67
नवम्बर-06	76000	76280.10	7628.01	46530.86	22121.23	165	115	85	8489975.13	6483809.00	2006166.13	2126536.10
दिसम्बर-06	80010	80019.04	8001.90	48811.61	23205.52	165	115	85	8906119.15	6801618.00	2104501.15	2188681.20
जनवरी-07	75012	74922.96	7492.30	45703.01	21727.66	165	115	85	8338925.45	6368452.00	1970473.45	2009882.92
फरवरी-07	75012	75052.02	7505.20	45781.73	21765.09	165	115	85	8353289.83	6379422.00	1973867.83	1973867.83
मार्च-07	84000	84014.32	8401.43	51248.74	24364.15	165	115	85	9350793.82	7141217.00	2209576.82	2165385.28
उप योग	625153	625071.40	62507.14	381293.55	181270.71				69570446.82	53131069.00	16439377.82	17299865.18
अप्रैल-07	73010	72798.36	7279.84	44407.00	21111.52	165	115	85	8102457.47	6187861.00	1914596.47	1838012.61
मई-07	70000	69976.76	6997.68	42685.82	20293.26	165	115	85	7788413.39	5947999.00	1840414.39	1729989.52
जून-07	80304	80591.98	8059.20	49161.11	23371.67	165	115	85	8969887.37	6850318.00	2119569.37	1950003.82
जुलाई-07	73010	73020.32	7302.03	44542.40	21175.89	165	115	85	8127161.62	6206727.00	1920434.62	1728391.15
अगस्त-07	73850.00	73802.50	7380.25	45019.53	21402.73	192.50	143.50	116.00	10363716.06	7859966.00	2503750.06	2203300.06
सितम्बर-07	75306.00	75257.16	7525.72	45906.87	21824.58	192.50	143.50	116.00	10567986.69	8014888.00	2553098.69	2195664.88
अक्टूबर-07	70196.00	70151.10	7015.11	42792.17	20343.82	192.50	143.50	116.00	9850968.22	7471092.00	2379876.22	1999096.02

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए "मुख्य एवं गौण खनिज से प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नवम्बर-07	80318.00	80423.58	8042.36	49058.38	23322.84	192.50	143.50	116.00	11293481.22	8565111.00	2728370.22	2237263.58
दिसम्बर-07	82180.00	82065.86	8206.59	50060.17	23799.10	192.50	143.50	116.00	11524098.39	8910224.00	2613874.39	2091099.51
जनवरी-08	76006.00	76005.64	7600.56	46363.44	22041.64	199.00	149.00	120.50	11076681.95	8360620.00	2716061.95	2118528.32
फरवरी-08	70490.00	70496.78	7049.68	43003.04	20444.07	199.00	149.00	120.50	10273848.23	7754646.00	2519202.23	1914593.70
मार्च-08	75334.00	75428.10	7542.81	46011.14	21874.15	199.00	149.00	120.50	10992514.15	8297091.00	2695423.15	1994613.13
उप योग	603680.00	603630.72	90001.81	549011.07	261005.26				118931214.76	90426543.00	28504671.76	24000556.31
अप्रैल-08	84028.00	84059.76	8405.98	51276.45	24377.33	199.00	149.00	120.50	12250449.12	9246574.00	3003875.12	2162790.09
मई-08	85022.00	85050.46	8505.05	51880.78	24664.63	199.00	149.00	120.50	12394828.79	9355551.00	3039277.79	2127494.45
जून-08	65128.00	65078.96	6507.90	39698.17	18872.90	199.00	149.00	120.50	9484282.24	7158686.00	2325596.24	1581405.44
जुलाई-08	50064.00	50050.40	5005.04	30530.74	14514.62	199.00	149.00	120.50	7294095.04	5505544.00	1788551.04	1180443.69
अगस्त-08	67018.00	66024.10	6602.41	40274.70	19146.99	199.00	149.00	120.50	9622022.21	7262651.00	2359371.21	1509997.58
सितम्बर-08	82068.00	83023.58	8302.36	50644.38	24076.84	199.00	149.00	120.50	12099441.43	9132594.00	2966847.43	1839445.41
अक्टूबर-08	87066.00	87053.12	8705.31	53102.40	25245.40	199.00	149.00	120.50	12686686.44	9575843.00	3110843.44	1866506.07
नवम्बर-08	72058.00	72025.18	7202.52	43935.36	20887.30	199.00	149.00	120.50	10496589.61	7922770.00	2573819.61	1492815.37
दिसम्बर-08	72030.00	72053.38	7205.34	43952.56	20895.48	199.00	149.00	120.50	10500699.33	7925872.00	2574827.33	1441903.31
जनवरी-09	73836.00	73445.94	7344.59	44802.02	21299.32	199.00	149.00	120.50	10703644.07	8079053.00	2624591.07	1417279.18
फरवरी-09	84700.00	85188.84	8518.88	51965.19	24704.76	199.00	149.00	120.50	12414995.60	9370772.00	3044223.60	1582996.27
मार्च-09	95648.00	95036.33	9503.63	57972.16	27560.54	199.00	149.00	120.50	13850119.55	10453967.00	3396152.55	1698076.28
उप योग	918666.00	918090.05	91809.01	560034.93	266246.11				133797853.44	100989877.00	32807976.44	19901153.12
अप्रैल-09	86982.00	87613.38	8761.34	53444.16	25407.88	199.00	149.00	120.50	12768335.93	9637472.00	3130863.93	1502814.69
मई-09	95494.00	94611.30	9461.13	57712.89	27437.28	199.00	149.00	120.50	13788177.81	10407243.00	3380934.81	1555230.01
जून-09	100030.00	100368.32	10036.83	61224.68	29106.81	199.00	149.00	120.50	14627177.12	11040515.00	3586662.12	1578131.33

जुलाई-09	80150.00	80259.18	8025.92	48958.10	23275.16	199.00	149.00	120.50	11696571.60	8828510.00	2868061.60	1204585.87
अगस्त-09	75012.00	75147.80	7514.78	45840.16	21792.86	199.00	149.00	120.50	10951664.63	8266258.00	2685406.63	1074162.65
सितम्बर-09	72030.00	72131.96	7213.20	44000.50	20918.27	199.00	149.00	120.50	10512151.19	7934516.00	2577635.19	979501.37
अक्टूबर-09	79856.00	80033.16	8003.32	48820.23	23209.62	199.00	149.00	120.50	11663632.57	8961466.00	2702166.57	972779.97
नवम्बर-09	81060.00	80003.80	8000.38	48802.32	23201.10	206.00	155.00	125.50	12124175.87	9120889.00	3003286.87	1021117.54
दिसम्बर-09	79086.00	80147.66	8014.77	48890.07	23242.82	206.00	155.00	125.50	12145977.13	9136833.00	3009144.13	962926.12
जनवरी-10	84196.00	84041.66	8404.17	51265.41	24372.08	206.00	155.00	125.50	12736093.36	9580749.00	3155344.36	946603.31
फरवरी-10	81130.00	79622.18	7962.22	48569.53	23090.43	206.00	155.00	125.50	12066343.27	9076929.00	2989414.27	837036.00
मार्च-10	84490.00	85549.00	8554.90	52184.89	24809.21	206.00	155.00	125.50	12964523.21	9752618.00	3211905.21	835095.35
उप योग	999516.00	999529.40	99952.94	609712.93	289863.53				148044823.69	111743998.00	36300825.69	13469984.21
अप्रैल-10	81130.00	81087.86	8108.79	49463.59	23515.48	206.00	155.00	125.50	12288459.74	9244016.00	3044443.74	730666.50
मई-10	85022.00	85103.92	8510.39	51913.39	24680.14	206.00	155.00	125.50	12897073.56	9701847.00	3195226.56	702949.84
जून-10	93702.00	93383.66	9338.37	56964.03	27081.26	206.00	155.00	125.50	14151826.75	10645737.00	3506089.75	701217.95
जुलाई-10	89460.00	90299.90	9029.99	55082.94	26186.97	206.00	155.00	125.50	13684498.35	10294189.00	3390309.35	610255.68
अगस्त-10	80856.00	80364.72	8036.47	49022.48	23305.77	206.00	155.00	125.50	12178871.49	9161578.00	3017293.49	482766.96
सितम्बर-10	79542.00	80027.44	8002.74	48816.74	23207.96	206.00	155.00	125.50	12127758.39	9123128.00	3004630.39	420648.26
अक्टूबर-10	81312.00	80463.92	8046.39	49082.99	23334.54	206.00	155.00	125.50	12193904.76	9172887.00	3021017.76	362522.13
नवम्बर-10	79394.00	80165.66	8016.57	48901.05	23248.04	206.00	155.00	125.50	12148704.94	9138885.00	3009819.94	300981.99
दिसम्बर-10	78918.00	79065.88	7906.59	48230.19	22929.11	206.00	155.00	125.50	11982038.78	9013510.00	2968528.78	237482.30
जनवरी-11	85652.00	83354.04	8335.40	50845.96	24172.67	206.00	155.00	125.50	12631887.99	9502361.00	3129526.99	187771.62
फरवरी-11	80290.00	81514.68	8151.47	49723.95	23639.26	206.00	155.00	125.50	12353142.18	9375473.00	2977669.18	119106.77
मार्च-11	84266.00	84788.20	8478.82	51720.80	24588.58	329.50	155.00	125.50	13896362.04	10768101.00	3128261.04	62565.22
उप योग	999544.00	999619.88	99961.99	609768.13	289889.77				152534528.98	115141712.00	37392816.98	4918935.22
महायोग		4145941.45	444232.89	2709820.61	1288275.37				622878867.70	471433199	151445668.70	79590494.04